

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमते.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवाजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 अप्रैल 2010—चैत्र 19, शक 1932

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 मार्च 2010

क्र. ई-5-562-आयएस-लीव-एक-5.—(1) श्री जे. एन. कांसोटिया, आयएस, कमिश्नर, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद को दिनांक 1 से 6 अप्रैल 2010 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री जे. एन. कांसोटिया की अवकाश की अवधि में डॉ. पुखराज मारू, आयएस., विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-सह-कमिश्नर, भोपाल संभाग, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, कमिश्नर नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जे. एन. कांसोटिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री जे. एन. कांसोटिया द्वारा कमिश्नर नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. पुखराज मारू, कमिश्नर, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री जे. एन. कांसोटिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जे. एन. कांसोटिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2010

(1) (2) (3) (4)

क्र. ई-1-352-2009-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भाप्रसे के आवंटन वर्ष 2006 के अधिकारियों को इस आदेश के प्रसारण की तिथि से भाप्रसे का वरिष्ठ वेतनमान स्वीकृत किया जाता है तथा उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए पद पर, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

क्रमांक	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)

1	श्री सुदाम पंढरीनाथ खाडे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, खरगोन (कनिष्ठ वेतनमान).	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर (विकास), खरगोन.
---	---	---

2	श्री धनंजय सिंह भदौरिया, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायसेन (कनिष्ठ वेतनमान).	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर (विकास), रायसेन.
---	--	--

क्र. ई-1-353-2009-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भाप्रसे के आवंटन वर्ष 1994 के अधिकारियों को भाप्रसे के अधिसमय वेतनमान में पदोन्नत करते हुए उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए पद पर, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)

1	श्री संजय कुमार शुक्ला, अध्यक्ष-सह-प्रबंध संचालक, मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल.	अध्यक्ष-सह-प्रबंध संचालक, मध्यक्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल.	संभागीय कमिश्नर.
---	--	--	------------------

2	श्री विवेक अग्रवाल, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि विपणन बोर्ड-सह-संचालक मंडी तथा अपर सचिव, मुख्यमंत्री.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि विपणन बोर्ड-सह-आयुक्त मंडी तथा सचिव, मुख्यमंत्री.	—
---	---	--	---

3	श्रीमती रश्मि अरूण शमी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना.	संभागीय कमिश्नर.
---	--	---	------------------

4	श्री हरिरंजन राव, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम.	प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम.	संभागीय कमिश्नर.
---	---	---	------------------

5	श्री मनीष रस्तोगी, अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा पदेन संचालक, बजट.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा संचालक, बजट.	—
---	--	---	---

6	श्रीमती दीपाली रस्तोगी प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम तथा संचालक, हाथकरघा का अतिरिक्त प्रभार.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम तथा संचालक, हाथकरघा का अतिरिक्त प्रभार.	संभागीय कमिश्नर.
---	--	--	------------------

7	श्री शिवशेखर शुक्ला, कलेक्टर, भोपाल.	कलेक्टर, भोपाल (पद का उन्नयन आदेश प्रसारण के दिनांक से आगामी आदेश तक भाप्रसे के अधिसमय वेतनमान में करते हुए).	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, (पद अधिसमय वेतनमान में असंवर्गीय होने के कारण).
---	---	---	--

8	श्री चन्द्रहास दुबे, अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र.	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, राज्य शिक्षा केन्द्र.	संभागीय कमिश्नर.
---	--	---	------------------

9	श्री एस. के. पाल अपर आयुक्त (राजस्व) सागर संभाग.	आयुक्त-सह-संचालक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, भोपाल.	—
---	---	--	---

10	श्री अरूण कोचर, संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश तथा संचालक, विमानन का अतिरिक्त प्रभार.	आयुक्त, नगर एवं ग्राम निवेश तथा संचालक, विमानन का अतिरिक्त प्रभार.	—
----	---	--	---

11	श्री जे. एन. मालपानी, अपर सचिव, राज्यपाल सचिवालय.	सचिव, राज्यपाल सचिवालय.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
----	--	-------------------------	------------------------

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	
12	श्रीमती सूरज डामोर, अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर.	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, वाणिज्यिक कर, इन्दौर.	संभागीय कमिश्नर.	6	डॉ. (श्रीमती) मधु खरे (1997)	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग.	
	(2) उपरोक्तानुसार श्री एस. के. पाल, भाप्रसे (1994) द्वारा आयुक्त-सह-संचालक, पिछड़ा वर्ग कल्याण का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री रघुवीर श्रीवास्तव, भाप्रसे (1992), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति (वित्त एवं विकास) निगम तथा आयुक्त-सह-संचालक, पिछड़ा वर्ग कल्याण केवल आयुक्त-सह-संचालक, पिछड़ा वर्ग कल्याण के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.			7	श्री जी. पी. श्रीवास्तव (1997)	सचिव, राजस्व मंडल, ग्वालियर.	
	क्र. ई-1-354-2009-5-एक.—श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव, भाप्रसे (1996), कलेक्टर, उज्जैन को दिनांक 1 जनवरी 2009 से भाप्रसे का प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किया जाता है.			8	श्री के. के. खरे (1997)	कलेक्टर, मंडला	
	(2) भारतीय प्रशासनिक सेवा के आवंटन वर्ष 1997 के निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 1 जनवरी 2010 से भाप्रसे का प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किया जाता है:—			9	श्री एस. एन. शर्मा (1997)	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग.	
	क्रमांक	अधिकारी का नाम एवं आवंटन वर्ष	वर्तमान पदस्थापना	10	श्री विनोद सिंह बघेल (1997)	अपर आयुक्त (राजस्व), इन्दौर संभाग.	
	(1)	(2)	(3)	11	श्रीमती गीता मिश्रा (1997)	कलेक्टर, अशोकनगर.	
	1	श्री भरत कुमार व्यास (1995)	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग.		(3) उपर्युक्त अधिकारियों में से निम्नलिखित अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप उनके नाम के सामने कालम (3) में दर्शाए पद पर आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—		
	2	श्री मनीष सिंह (1997)	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग तथा परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पीआईसीयू) का अतिरिक्त प्रभार.	क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है	
	3	श्री राघवेंद्र कुमार सिंह (1997)	अध्यक्ष-सह-प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर.	(1)	(2)	(3)	(4)
	4	श्री सुखवीर सिंह (1997)	कलेक्टर, सतना	1	श्री भरत कुमार व्यास (1995), उपसचिव, म. प्र. शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग.	—
	5	श्री गुलशन बामरा (97)	कलेक्टर, जबलपुर	2	श्री मनीष सिंह (97), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग तथा परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पीआईसीयू) का अतिरिक्त प्रभार.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग तथा परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पीआईसीयू) का अतिरिक्त प्रभार.	—
				3	श्री राघवेंद्र कुमार सिंह (1997), अध्यक्ष-सह-प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर.	अध्यक्ष-सह-प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर.	अपर सचिव, म. प्र. शासन

(1) (2) (3) (4)

गृह (सामान्य) विभाग

4 डॉ. (श्रीमती) मधु खरे
(97), उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
गृह विभाग.

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

5 श्री एस. एन. शर्मा
(1997), उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग.

भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2010

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2010

क्र. ई-5-725-आयएस-लीव-एक-5.—(1) डॉ. एम. गीता, भाप्रसे., कलेक्टर, जिला रीवा को दिनांक 12 से 22 अप्रैल 2010 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 10, 11 अप्रैल 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) डॉ. एम. गीता की अवकाश की अवधि में श्री शोभित जैन, भाप्रसे, अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा का अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला रीवा का चालू प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. एम. गीता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) डॉ. एम. गीता द्वारा कलेक्टर, जिला रीवा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शोभित जैन, कलेक्टर, जिला रीवा के चालू प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में डॉ. एम. गीता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. एम. गीता अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई. 1-376-2008-5-एक.—श्री प्रभुदयाल मीना, भाप्रसे (1980), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग की संवाएं भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को आदिम जाति मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्ति के लिये सौंपी जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

क्र. एफ. 3-34-2009-दोए (3).—पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 17 सितम्बर 2009 को "प्रश्न-पत्र" लेखा प्रथम एवं द्वितीय विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
-------------	---------------------------	--------------

उच्चस्तर

भोपाल संभाग

1	श्री राम विलास सेमिल	परिवीक्षा अधिकारी
2	श्री अरूण जोशी	परिवीक्षा अधिकारी
3	कु. सोना जावड़ा	शिक्षक

क्र. एफ. 3-114-2009-दोए (3).—राज्य शासन द्वारा कृषि विभाग के लिये नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 18 सितम्बर 2009 को प्रश्न-पत्र लेखा द्वितीय (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
-------------	---------------------------	--------------

उच्चस्तर

भोपाल संभाग

1	श्री विलास पाटिल	सहायक संचालक
2	श्री राजेन्द्र कुमार द्विवेदी	सहायक संचालक
3	श्री राजेन्द्र प्रसाद परमार	सहायक संचालक
4	श्री राजकुमार सिंह	सहायक संचालक
5	श्री नरेश कुमार परमार	सहायक संचालक

रीवा संभाग

6	डॉ. सुरेश कुमार	सहायक संचालक
7	श्री उपेन्द्र कुमार शुक्ला	सहायक संचालक

जबलपुर संभाग

8	श्री सचिन्द्र राजीव दास	अनुविभागीय अधिकारी
9	श्रीमती कीर्ति टंडन	सहायक संचालक

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2010

(1)	(2)	(3)
10	श्रीमती प्रियंका पटेल	सहायक संचालक
ग्वालियर संभाग		
11	श्री हीरासिंह चौहान	सहायक संचालक
12	डॉ. आशुतोष पाण्डेय	सहायक संचालक
13	श्री श्याम बहादुर सिंह	सहायक संचालक (सश्रेय)
14	श्री यश कुमार सिंह	वरि. उ. विकास अधिकारी
15	श्री अनन्त बिहारी सडैया	सहायक संचालक
16	श्री भानुप्रताप सिंह	सहायक संचालक

सागर संभाग

17	श्री सुनील कुमार भदकारिया	वरि. उ. विकास अधिकारी
18	श्री जगदीश ठाकुर	सहायक संचालक
19	डॉ. कबीर कृष्ण वैद्य	सहायक संचालक
20	श्रीमती अनंता दीवान	सहायक संचालक

उज्जैन संभाग

21	श्री ओंकार सिंह बर्मन	सहायक संचालक
----	-----------------------	--------------

निम्नस्तर

भोपाल संभाग

1	श्री रतन सिंह कटारा	सहायक संचालक
---	---------------------	--------------

रीवा संभाग

2	श्री अनिल कुमार मिश्रा	सहायक संचालक
---	------------------------	--------------

सागर संभाग

3	श्री निर्मल कुमार गोयल	वरि. उ. विकास अधिकारी
---	------------------------	-----------------------

इन्दौर संभाग

4	श्री लालसिंह चारेल	सहायक संचालक
5	श्री मोहन सिंह	वरि. उ. विकास अधिकारी
6	श्री मनोज चौहान	सहायक संचालक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेनू तिवारी, उपसचिव.

क्र. एफ. 1(बी) 73-2004-बी-4-दो.—राज्य शासन, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा—2005 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिए मुख्य सूची के विभिन्न कारणों से रिक्त पदों की पूर्ति अनुपूरक सूची के अभ्यर्थियों से किये जाने हेतु निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा संवर्ग में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 8000—275—13500/- में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त करता है. नवनियुक्त अधिकारीगण आदेश प्राप्त के 15 दिवस की अवधि में जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी, सागर में प्रशिक्षण हेतु कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा नियुक्ति निरस्त मानी जावेगी:—

सरल लोक सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थी का नाम एवं पता क्रमांक अनुशंसित अनुपूरक सूची का क्रमांक

(1) (2) (3)

1 03 श्री नितेश भार्गव पुत्र श्री सुरेश चन्द्र भार्गव, 55/3, आमदा प्लाट, पानसेमल थाना एवं तहसील पानसेमल, जिला बड़वानी (म. प्र.) पिन—451770.

(2) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि में "संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण" प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी.

(3) नियुक्त अधिकारी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 से शासित होगी. सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अन्तर्गत निराकृत किये जायेंगे.

(4) नियुक्त अधिकारी की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है. इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व की बकाया की भांति उनसे वसूल की जावेगी.

(5) राज्य शासन के अधीन दिनांक 1 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी।

(6) नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पायी जाने पर सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी। उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

(7) परिवीक्षाधीन अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व एक "बॉण्ड" शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होंगे, की वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा। "बॉण्ड" का प्रारूप संलग्न है जिसकी पूर्ति कर जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर में कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारी को अपनी उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(8) नव नियुक्त अधिकारी पूर्व में शासकीय, अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है, तो उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजांच एवं अमांग प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावे।

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 1(बी) 73-2004-बी-4-दो.—राज्य शासन, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा—2005 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिए मुख्य सूची के विभिन्न कारणों से रिक्त पदों की पूर्ति अनुपूरक सूची के अभ्यर्थियों से किये जाने हेतु निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा संवर्ग में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 8000—275—13500/- में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त करता है। नवनियुक्त अधिकारीगण आदेश प्राप्त के 15 दिवस की अवधि में जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी, सागर में प्रशिक्षण हेतु कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा नियुक्ति निरस्त मानी जावेगी:—

सरल लोक सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थी का नाम एवं पता
क्रमांक अनुसंसित अनुपूरक सूची का क्रमांक

(1)	(2)	(3)
1	01	श्री ऋषि कुमार बिसेन, पुत्र श्री एल. एल. बिसेन, मिशन स्कूल के पास, मिशन कम्पाउण्ड, बैहर, जिला बालाघाट (म. प्र.).

(2) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि में "संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण" प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

(3) नियुक्त अधिकारी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 से शासित होगी। सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अन्तर्गत निराकृत किये जायेंगे।

(4) नियुक्त अधिकारी की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा। एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व की बकाया की भांति उनसे वसूल की जावेगी।

(5) राज्य शासन के अधीन दिनांक 1 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी।

(6) नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पायी जाने पर सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी। उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

(7) परिवीक्षाधीन अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व एक "बॉण्ड" शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होंगे, की वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा। "बॉण्ड" का प्रारूप संलग्न है जिसकी पूर्ति कर जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर में कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारी को अपनी उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(8) नव नियुक्त अधिकारी पूर्व में शासकीय, अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है, तो उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजांच एवं अमांग प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजन कटोच, प्रमुख सचिव।

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2010

फा. क्र. 1 (सी)-9-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 15 के अनुसार श्री दुलीचन्द्र वर्मा, उप संचालक अभियोजन, खरगौन को खण्डवा जिले के लिये विशेष लोक अभियोजक की शक्तियाँ, उनकी उक्त पदस्थापना की अवधि तक के लिये प्रदान करता है.

फा. क्र. 1 (सी)-10-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्री लक्ष्मण सिंह रैकवार, उप संचालक अभियोजन, रायसेन को देवास जिले के लिये विशेष लोक अभियोजक की शक्तियाँ उनकी उक्त पदस्थापना की अवधि तक के लिये प्रदान करता है.

फा. क्र. 1 (सी)-16-2007-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 नवम्बर, 2007 द्वारा नियुक्त श्रीमती जयंती पुराणिक, विशेष लोक अभियोजक, जिला देवास के आदेश के जारी होने के दिनांक से एक माह के सूचना-पत्र द्वारा उक्त नियुक्ति समाप्त की जाती है.

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2010

फा. क्र. 1 (बी)-2-04-इक्कीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन एतद्वारा श्री पुनीत नारायण तिवारी पुत्र श्री रघुवंश प्रसाद तिवारी को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये भोपाल सत्र खण्ड के भोपाल राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1 (बी)-48-04-इक्कीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा श्री आनंद तिवारी पुत्र श्री रामचन्द्र तिवारी को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये भोपाल सत्र खण्ड के भोपाल राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

फा. क्र. 1 (सी)-7-2010-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों

के लिये अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत श्री अरुण कुमार सिंह, अधिवक्ता को जिला अनूपपुर में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

उक्त नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है.

नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 (सी)-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब (दो), दिनांक 24 अप्रैल, 2008 के अनुरूप देय होंगे.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-64-मुख्य शीर्ष-2225-(5171) विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां-003-अभिभाषकों को फीस प्रभार के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

देयक का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

फा. क्र. 1 (बी)-11-04-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11 अक्टूबर 2004 द्वारा नियुक्त श्रीमती आशा किरण कौर, अति. शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, गुना के कार्यकाल में कार्यकाल समाप्त होने के दिनांक 11 अक्टूबर, 2008 से तीन वर्ष अर्थात् दिनांक 10 अक्टूबर, 2011 तक की वृद्धि करता है.

यह वृद्धि इस शर्त के अधीन है कि बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1 (बी)-17-4-इक्कीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा कु. निवेदिता चतुर्वेदी पुत्री श्री टी. एन. चतुर्वेदी को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये दतिया सत्र खण्ड के दतिया राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक (फास्ट ट्रेक कोर्ट) नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2010

फा. क्र. 1 (सी)-6-2010-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के लिये अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत श्री पृथ्वीराज पंडोले, अधिवक्ता को जिला बैतूल में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

उक्त नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 (सी)-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब (दो), दिनांक 24 अप्रैल, 2008 के अनुरूप देय होंगे।

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-64-मुख्य शीर्ष-2225-(5171) विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां-003-अभिभाषकों को फीस प्रभार के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

देयक का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा।

फा. क्र. 1 (सी)-11-2010-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के लिये अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत श्री गजेन्द्र सिंह दांगी, अधिवक्ता को जिला सागर में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है।

उक्त नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 (सी)-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब (दो), दिनांक 24 अप्रैल, 2008 के अनुरूप देय होंगे।

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-64-मुख्य शीर्ष-2225-(5171) विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां-003-अभिभाषकों को फीस प्रभार के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

देयक का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा।

फा. क्र. 1 (बी)-21-04-इक्कीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री जयेश कुमार पाठक पुत्र श्री प्रफुल्ल कुमार पाठक को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये मण्डला सत्र खण्ड के मण्डला राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक

अभियोजक नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

फा. क्र. 1 (बी)-02-04-इक्कीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री हीरालाल बड़गैया पुत्र स्व. श्री अमृतलाल बड़गैया को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये मण्डला सत्र खण्ड के मण्डला राजस्व जिले के लिये लोक अभियोजक नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

फा. क्र. 1 (बी)-21-04-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री हीरालाल बड़गैया, अधिवक्ता को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मण्डला सत्र खण्ड के मण्डला राजस्व जिले के लिये शासकीय अभिभाषक, मण्डला नियुक्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 मार्च, 2010

फा. क्र. 17 (ई) 102-90-दो-ब-(1).—राज्य शासन श्री जी. एस. अहलूवालिया, अधिवक्ता जबलपुर को इंडियन लॉ रिपोर्टर (मध्यप्रदेश सीरीज) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाइम रिपोर्टर के स्थायी पद पर रुपये 2,500/- (रु. दो हजार पांच सौ) केवल प्रतिमाह निश्चित वेतन (Fixed pay) पर एक वर्ष अथवा नवीन नियुक्ति होने (जो भी पहले हो) तक, नियुक्त करता है।

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-29-2014-न्याय प्रशासन (102) उच्च न्यायालय (573) उच्च न्यायालय भारत-01 वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमल प्रकाश शुक्ल, अपर सचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2010

क्र.-डी-15-02-2010-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973) की धारा 5 की उप धारा (2)

के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 7972-2556-चौदह-1 दिनांक 25 सितम्बर, 1964 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति, खण्डवा के अन्तर्गत मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थान, उस पर बने समस्त संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को उप मंडी प्रांगण घोषित करती है, अर्थात् :—

स्थान

ग्राम पंचायत कालमुखी, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 8.22 हेक्टेयर भूमि का क्षेत्र.—

क्रमांक	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	139	8.22
योग :		8.22

जिसकी सीमाएं

उत्तर में—आम रास्ता.

दक्षिण में—खसरा क्रमांक 136.

पूर्व में—शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 139.

पश्चिम में—खण्डवा अटूट मार्ग.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. बघेल, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 मार्च, 2010

क्र. डी-15-02-2010-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 मार्च, 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. बघेल, अपर सचिव.

Bhopal, the 27 March, 2010

No. D-15-02-2010-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declared the following area including all structures, enclosure, open places or locality in the market area for which a market at Khandwa has been established by this Department's

Notification No. 7972/2556/XIV-1, dated 25th September, 1964 shall be the sub market yard namely :—

PLACE

An area of 8.22 Hecters land of below Mentioned Khasra Number at Gram Panchayat Kalmukhi in Tehsil Khandwa of District Khandwa:—

S. No.	Khasra No.	Area (In Hecters)
1	139	8.22
Total :		8.22

BOUNDED BY

On the North by.—Public Road.

On the South by.—Khasra No. 136

On the East by.—Govt. Land of Khasra No. 139.

On the West by.—Khandwa Atoot Road.

By Order and in the name of the Governor of the
Madhya Pradesh,
B. S. BAGHEL, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2010

क्र. डी-15-02-2010-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 मार्च 2010 के अधीन घोषित मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी क्षेत्र खण्डवा, जिला खण्डवा के निम्नलिखित क्षेत्र को मूल मंडी क्षेत्र घोषित करती है :—

क्षेत्र

- (1) ग्राम पंचायत कालमुखी तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.
- (2) उप मंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र :—

- (1) कालमुखी, (2) बोराडी माल, (3) हीरापुर, (4) डोंगरगांव (5) राजपुरा, (6) आमोदा, (7) मातपुर, (8) जिनवानिया, (9) अटूट खुर्द बेनीपुरा, (10) फीफराड़, (11) पिपल्या, (12) किरगांव (वन ग्राम) (13) अटूट खास, (14) दिनायतपुरा, (15) बिहारिपुरा, (16) हरवंशपुरा, (17) लालपुरा, (18) बावडिया, (19) बोराडीरैयत.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. बघेल, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2010

क्र. डी-15-02-2010-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. बघेल, अपर सचिव.

Bhopal, the 27th March 2010

No. D-15-02-2010-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby declare that in the relation to the market yard declare *vide* this Department's notification even number dated 27th March 2010 the following area of Khandwa of District Khandwa shall be the Market yard namely :—

AREA

- (1) An area within the limit of Gram Panchayat Kalmukhi in Tehsil Khandwa of District Khandwa.
- (2) An area comprising of the following villages within the radius of 5 Kilometers from the sub market yard namely :—
 - (1) Kalmukhi, (2) Voradi Maal, (3) Heerapur, (4) Dongargaon, (5) Rajpura, (6) Amoda, (7) Maatpur, (8) Zinwaniya, (9) Atoot Khurd Benipura, (10) Feefracad, (11) Pipalya, (12) Kirgaon, (Forest Village) (13) Atoot Khas, (14) Dinayatpura, (15) Beharipura, (16) Harvanspura, (17) Lalpura, (18) Baavadiya, (19) Boradiraiat.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
B. S. BAGHEL, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2010

क्र. डी-15-07-2010-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 5 की

उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 7972-2556-चौदह-1, दिनांक 25 सितम्बर 1964 द्वारा स्थापित कृषि उपज मण्डी समिति, खण्डवा के अन्तर्गत मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थान, उस पर बने समस्त संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को उप मण्डी प्रांगण घोषित करती है, अर्थात् :—

स्थान

ग्राम पंचायत छैगांव माखन तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 4.049 हेक्टेयर भूमि का क्षेत्र :—

क्रमांक	खसरा क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1	884 में से	3.240
2	887 में से	0.809
	योग . .	<u>4.049</u>

जिसकी सीमाएं

उत्तर में—स्टेट हाइवे क्रमांक 26.

दक्षिण में—शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 884 एवं 887.

पूर्व में—शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 887.

पश्चिम में—शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 882.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. बघेल, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2010

क्र. 681-डी-15-02-2010-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. बघेल, अपर सचिव.

Bhopal, the 27th March 2010

No. D-15-07-2010-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby declared the following area including all structures, enclosure, open

places or locality in the market area for which a market at Khandwa has been established by this Department's Notification No. 7972-2556-XIV-1, dated 25th September 1964 shall be the sub market yard namely :—

PLACE

An area of 4.049 hectares land of bellow Mentioned Khasra number at Gram Panchayat, Chhaigaon Makhan in Tehsil Khandwa of District Khandwa :—

S. No.	Khasra No.	Area (in Hecters)
(1)	(2)	(3)
1	Form 884	3.240
2	From 887	0.809
Total . .		4.049

BOUNDED BY

On the North by—State Haiway No. 26.
On the South by—Govt. Land Khasra No. 884 & 887.
On the East by—Govt. Land of Khasra No. 887.
On the West by—Govt. Land of Khasra No. 882.

By order and in the name of the Governor of
 Madhya Pradesh,
 B. S. BAGHEL, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 27 मार्च, 2010

क्र. डी-15-07-2010-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 मार्च 2010 के अधीन घोषित मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी क्षेत्र खण्डवा, जिला खण्डवा के निम्नलिखित क्षेत्र को मूल मंडी क्षेत्र घोषित करती है :—

क्षेत्र

- (1) ग्राम पंचायत छैगांव माखन तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.
- (2) उप मंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र :—
 (1) छैगांव माखन, (2) सुरगांव राठौर, (3) भोजाखेड़ी, (4) बरूड, (5) सुल्याखेड़ी, (6) काल्दाखेड़ी, (7) मोकलगांव, (8) भुईफल, (9) भिगावा नानकरी, (10) आवल्या विट्टल, (11) दोभाड़ा, (12) सोनूद, (13) पछाया, (14) बलखड़ सूर

- (वीरान) (15) हैदरपुर, (16) टाकली मोरी, (17) हरसवांड़ा, (18) सिरसौद, (19) बंजारी, (20) रसीदपुरा, (21) कौंडावद.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 बी. एस. बघेल, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2010

क्र. डी-15-07-2010-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 बी. एस. बघेल, अपर सचिव.

Bhopal, the 27th March 2010

No. D-15-07-2010-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby, declare that in the relation to the Market yard declare *vide* this department's notification even number dated 27th March 2010 the following area of Khandwa of District Khandwa shall be the Market namely :—

AREA

- (1) An area within the limit of Gram Panchayat Chhaigaon Makhan in Tehsil Khandwa of District Khandwa.
- (2) An area comprising of the following villages within the radius of 5 Kilometers from the sub Market yard namely :—
 (1) Chhaigaon Makhan, (2) Surgaon Rathor, (3) Bhoja Khedi, (4) Barun, (5) Sulaya Khedi, (6) Kalda Khedi, (7) Mokalgaon, (8) Bhuiphal, (9) Bhigava Nankari, (10) Avalya bithal, (11) Dobhada, (12) Sonood, (13) Pachhaya, (14) Balkhad Soora (Veeran) (15) Haidarpur, (16) Takkali Mori, (17) Harasvada (18) Sirsoud (19) Banjarri, (20) Rashidpura, (21) Condavad.

By order and in the name of the Governor of
 Madhya Pradesh,
 B. S. BAGHEL, Addl. Secy.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2010

सूचना

क्र. एफ. 3-3-2009-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा रीवा निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात् :—

- (1) कलेक्टर, जिला रीवा (म.प्र.)
- (2) संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रीवा
- (3) आयुक्त, नगर निगम, रीवा

2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2010

क्र. एफ. 3-3-2009-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (ख) के अनुसरण में, आवास एवं पर्यावरण विभाग की सूचना क्रमांक एफ. 3-3-2009-बत्तीस, दिनांक 30 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

Bhopal, the 30th March 2010

NOTICE

No. F-3-3-2009-XXXII—Notice under section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development plan for Rewa (Planning Area) under sub-section (1) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following Offices during Office hours, namely :—

- (1) Collector, District, Rewa (M.P.)
- (2) Joint Director, Town & Country Planning, District Office, Rewa (M.P.).
- (3) Commissioner, Municipal Corporation, Rewa

2. The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette under section 19(5) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
VARSHA NAOLEKAR, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2010

सूचना

क्र. एफ. 3-34-2009-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा बुरहानपुर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात् :—

- (1) कलेक्टर, जिला बुरहानपुर (म.प्र.)
- (2) उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, बुरहानपुर
- (3) आयुक्त, नगर निगम, बुरहानपुर

2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2010

क्र. एफ. 3-34-2009-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (ख) के अनुसरण में, आवास एवं पर्यावरण विभाग की सूचना क्रमांक एफ. 3-34-2009-बत्तीस, दिनांक 30 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

Bhopal, the 30th March 2010

NOTICE

No. F-3-34-2009-XXXII.—Notice under section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development plan for

Burhanpur (Planning Area) under sub-section (1) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following Offices during Office hours, namely :—

- (1) Collector, District, Burhanpur (M.P.)
- (2) Deputy Director, Town & Country Planning, District Office, Burhanpur (M.P.).
- (3) Commissioner, Municipal Corporation, Burhanpur.

2. The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette under section 19(5) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
VARSHA NAOLEKAR, Dy. Secy.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 4 (ए)-1-2010-ए-सोलह.—कारखाना अधिनियम, 1948(1948 का संख्यांक 63) की धारा 66 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की वस्त्र उद्योग इकाईयों में स्त्रियों के नियोजन के लिए, उक्त खण्ड (ख) में अधिकथित शर्तों में फेरफार, निम्नलिखित शर्तों के अधधीन रहते हुए करती है कि 5.00 बजे प्रातः से 10.00 बजे सायं के बीच स्त्रियों को नियोजित करने हेतु प्राधिकृत किया जाए, अर्थात्:—

- (एक) किसी वयस्क कर्मकार के दैनिक कार्य घंटे उक्त अधिनियम की धारा 54 में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे,
- (दो) किसी वयस्क कर्मकार के साप्ताहिक कार्य करने के घंटे उक्त अधिनियम की धारा 51 में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे,
- (तीन) उद्योग में किया जाने वाला कार्य स्त्री जनित से संबंधित होगा,
- (चार) प्रत्येक पारी में न्यूनतम दो स्त्रियां होंगी,
- (पांच) काम करने वाली स्त्रियों को कार्यस्थल पर सुरक्षा का उपबंध किया जाएगा.
- (छह) काम करने वाली स्त्रियों को उसके निवास स्थान से कार्य स्थल तक आने-जाने की की वाहन सुविधा का उपबंध किया जाएगा,
- (सात) स्त्रियों के लिए पृथक् शौचालय/स्नानागार होगा,

(आठ) काम करने वाली स्त्रियों के बच्चों के लिए झुलाघर का उपबंध किया जाएगा,

(नौ) कारखाना प्रबंधन द्वारा स्त्री कर्मकार की गरिमा के रक्षोपाय के हर संभव कदम उठाए जाएंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सेवाराम, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 4 (ए)-1-2010-ए-सोलह.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सेवाराम, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 31st March 2010

No. F-4-(A)-1-2010-A-XVI.—In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (b) of section (1) of section 66 of the Factories Act, 1948 (No. 63 of 1948), the State Government, hereby varies the conditions laid down in clause (b) for employment of women in the units in the Textile Industry in the State of Madhya Pradesh that the women shall be authorised to be employed between the hours of 5.00 A.M. to 10.00 P.M., subject to the following conditions, namely:—

- (i) that the daily working hours of an adult worker shall be as specified in Section 54 of the said Act;
- (ii) that the weekly working hours of an adult worker shall be as specified in Section 51 of the said Act;
- (iii) that the work in the Industry is women oriented;
- (iv) that there would be atleast two women in the shifts,
- (v) that the working women shall be provided security at the work place;
- (vi) that the working women shall be provided conveyance facility from place of residence to place of work to and fro;
- (vii) that there shall be separate toilet/bathroom for women;
- (viii) that there shall be provided creche for child of working women; and
- (ix) that every possible step shall be taken by management of the Factory to safeguard the dinghity of women worker.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
SEWA RAM, Principal Secy.

वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2010

क्र. एफ 25-5-2010-दस-3.—मध्यप्रदेश वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 25-58-2003-दस-3, दिनांक 11 फरवरी 2004 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 फरवरी 2004 में आंशिक संशोधन करते हुए, सामान्य वनमण्डल खण्डवा के अंतर्गत उपवनमंडलों का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है:—

वृत्त का नाम	जिले का नाम	वनमण्डल का नाम (मुख्यालय)	उप वनमण्डल का नाम (मुख्यालय)	सम्मिलित परिक्षेत्र का नाम (मुख्यालय)	उपवनमंडलों की सीमाओं का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	1. खण्डवा	खण्डवा (खण्डवा)	खण्डवा (खण्डवा)	खण्डवा (खण्डवा)	उत्तर—उपवनमंडल पुनासा परिक्षेत्र पुनासा एवं मुंदी की सीमा. पूर्व—उपवनमंडल पूर्व कालीभीत एवं पश्चिम कालीभीत (सिंगाजी एवं खालवा परिक्षेत्र) की सीमा. दक्षिण—जिला बुरहानपुर की सीमा. पश्चिम—जिला खरगोन की सीमा.
			पूर्व कालीभीत (नया हरसूद)	गुड़ी (गुड़ी)	दक्षिण—जिला बुरहानपुर की सीमा. पश्चिम—जिला खरगोन की सीमा.
				पूर्वकालीभीत (रोशनी)	उत्तर.—नर्मदा नदी एवं जिला हरदा की सीमा. पूर्व—जिला बैतूल एवं हरदा की सीमाएं. दक्षिण—उपवनमंडल पश्चिम कालीभीत एवं खंडवा (परिक्षेत्र गुड़ी, खालवा एवं पश्चिम कालीभीत) की सीमाएं.
				सिंगाजी (छनेरा)	पश्चिम—उपवनमंडल खंडवा (परिक्षेत्र खंडवा एवं उपवनमंडल पुनासा की मुंदी परिक्षेत्र की सीमाएं.
				बलड़ी (किल्लौद)	उत्तर—खरगोन एवं देवास जिला सीमा.
				मुंदी (मुंदी)	पूर्व—नर्मदा नदी एवं तवा नदी उपवनमंडल पूर्व कालीभीत की सीमाएं. दक्षिण—उपवनमंडल खंडवा एवं पूर्व कालीभीत परिक्षेत्र सिंगाजी एवं खंडवा की सीमाएं. पश्चिम—जिला खरगोन की सीमा.
			पुनासा (पुनासा)	चांदगढ़ (नर्मदानगर)	पश्चिम—जिला खरगोन की सीमा.
				पश्चिम कालीभीत (खालवा)	उत्तर—उपवनमंडल पूर्व कालीभीत (परिक्षेत्र सिंगाजी) की सीमाएं. पूर्व—उपवनमंडल पूर्व कालीभीत (परिक्षेत्र पूर्व कालीभीत आवलिया) की सीमाएं.
			पश्चिम कालीभीत (खालवा)	खालवा (खालवा)	दक्षिण—जिला बुरहानपुर की सीमा एवं ताप्ती नदी महाराष्ट्र की सीमा. पश्चिम—उपवनमंडल खण्डवा (परिक्षेत्र गुड़ी) की सीमा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रतन पुरवार, सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2010

क्र. एफ-25-5-2010-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25-5-दस-3-2010, दिनांक 26 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रतन पुरवार, सचिव.

Bhopal, the 26th March 2010

No. F. 25-5-2010-X-3.—In exercise of the powers vested with Government of Madhya Pradesh Sub Divisions of Khandwa (T) Forest Division are reorganised by partially amending the Notification No. F. 25-58-2003-X-3, dated 11th February 2004 of Madhya Pradesh Government Forest Department as under:—

Name of Circle (1)	Name of District (2)	Name of Division (Head Quater) (3)	Name of Sub Division (Head Quater) (4)	Ranges included (Head Quater) (5)	Descriptions of Boundaries of Sub Divisions (6)
Khandwa	1. Khandwa	Khandwa (Khandwa)	Khandwa (Khandwa)	Khandwa (Khandwa)	North —Boundaries of Sub Division (Ranges Punasa Mundi). East —Boundaries of Sub Division East & West Kalibhit (Ranges Singaji & Khalwa). South —Boundaries of District Bhurhanpur. West —Boundary of District Khargone.
			East Kalibhit (New Harsud)	East Kalibhit. (Roshni) Anolia (Morgarhi)	North —Boundaries of District Harda & Narmada River. East —Boundaries of Betul and Harda Districts.
				Baldi (Killod)	South —Boundaries of Sub Division West Kalibhit & Khandwa (Ranges Gudi, Khalwa West Kalibhit).
				Singaji (Chanera)	West —Boundaries of Sub Division Khandwa & Punasa (Ranges Khandwa & Mundi).
			Punasa (Punasa)	Mundi. (Mundi)	North —Boundary of District Dewas & Khargone. East —Boundaries of Sub Division East Kalibhit (Ranges Narmada River & Tawa River).
				Punasa (Punasa)	South —Boundaries of Sub Division Khandwa & East Kalibhit (Ranges Singaji & Khandwa).
				Chandgarh (Narmada Nagar)	West —Boundary of District Khargone.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			West Kalibhit (Khalwa)	West Kalibhit (Khalwa)	North —Boundaries of Sub Division East Kalibhit (Ranges Singaji). East —Boundary of Sub Division East Kalibhit (Ranges East Kalibhit & Aonlia). South —Boundary of District Burhanpur & Maharastra State (Tapti River). West —Boundaries of Sub Division Khandwa (Ranges Gudi).
				Khalwa (Khalwa)	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RATAN PURWAR, Secy.

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2010

क्र. एफ. 25-5-2010-दस-3.—मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 25-50-98-दस-3, भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 1998 में आंशिक संशोधन करते हुये, सामान्य वन मंडल, बड़वानी के अंतर्गत उपवनमंडलों का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है :—

वृत्त	जिला	वनमण्डल	उप वनमण्डल (मुख्यालय)	परिक्षेत्र (मुख्यालय)	उपवनमंडलों की सीमाओं का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	बड़वानी	बड़वानी	बड़वानी बड़वानी	बड़वानी (बड़वानी) राजपुर (राजपुर)	उत्तर—नर्मदा नदी पूर्व—खरगोन जिले की सीमा दक्षिण—विकासखण्ड निवाली एवं सेंधवा की सीमा. पश्चिम—विकासखंड पाटी की सीमा या परिक्षेत्र पाटी बोकराटा की सीमा. उत्तर—नर्मदा नदी
			पाटी (बड़वानी)	पाटी (पाटी) बोकराटा (बोकराटा)	पूर्व—परिक्षेत्र बड़वानी की सीमा दक्षिण—विकासखण्ड पानसेमल की सीमा. पश्चिम—महाराष्ट्र राज्य की सीमा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रतन पुरवार, सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2010

क्र. एफ. 25-5-2010-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 25-5-2010-दस-3, दिनांक 26 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रतन पुरवार, सचिव.

Bhopal, the 26th March 2010

No. 25-5-2010-X-3.—In exercise of the powers vested with Government of Madhya Pradesh Sub Division of Barwani (T) Forest division are reorganised by partially amending the Notification No. F-25-50-98-X-3, dated 11th September 1998 of Madhya Pradesh Government Forest Department as under :—

Circle	District	Division	Sub Division (Head Quarter)	Range (Head Quarter)	Boundaries of Sub-Division
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Khandwa	Barwani	Barwani	Barwani (Barwani)	Barwani (Barwani) Rajpur. (Rajpur)	North —Narmada River East —Boundary of Khargone District. South —Boundary of Block Nivali & Sendhwa. West —Boundary of Block Pati & Forest Rang Pati & Bokrata.
			Pati (Barwani)	Pati (Pati) Bokrata (Bokrata)	North —Narmada River East —Boundary of Forest Range Barwani. South —Boundary of Block Pansemal. West —Boundary of Maharashtra State.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

RATAN PURWAR, Secy.

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2010

क्र. एफ. 25-5-2010-दस-3.—मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 25-50-98-दस-3, भोपाल दिनांक 11 सितम्बर 1998 में आंशिक संशोधन करते हुये, सामान्य वन मंडल, बड़वाह के अंतर्गत उपवनमंडल का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है :—

अ. क्र.	वृत्त का नाम	जिले का नाम	वन मण्डल का नाम (मुख्यालय)	उप वनमण्डल का नाम (मुख्यालय)	संयोजित परिक्षेत्रों का नाम (मुख्यालय)	उप वनमंडलों की सीमाओं का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	खण्डवा	खरगोन	बड़वाह (बड़वाह)	बड़वाह (बड़वाह)	बड़वाह (बड़वाह) काटकूट (काटकूट) सनावद (सनावद)	उत्तर—इन्दौर जिले की सीमा पूर्व—देवास एवं खण्डवा जिले की सीमा दक्षिण—तहसील भीकनगांव एवं खरगोन वनमंडल की सीमा. पश्चिम—परिक्षेत्र बलवाड़ा एवं परिक्षेत्र पाडल्या की सीमा.
2.	खण्डवा	खरगोन	बड़वाह (बड़वाह)	मण्डलेश्वर (मण्डलेश्वर)	मण्डलेश्वर (मण्डलेश्वर) पाडल्या (पाडल्या) काकड़दा (काकड़दा) बलवाड़ा (बलवाड़ा)	उत्तर—इन्दौर जिले की सीमा पूर्व—परिक्षेत्र काटकूट एवं परिक्षेत्र बड़वाह की सीमा. दक्षिण—नर्मदा नदी एवं तहसील कसरवाव की सीमा. पश्चिम—धार जिले की सीमा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रतन पुरवार, सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2010

क्र. एफ. 25-5-2010-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 25-5-2010-दस-3, दिनांक 26 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रतन पुरवार, सचिव।

Bhopal, the 26th March 2010

No. 25-5-2010-X-3.—In exercise of the powers vested with Government of Madhya Pradesh sub Divisions of Barwaha (T) Forest division are reorganised by partially amending the Notification No. F-25-50-98-X-3, dated 11th September 1998 of Madhya Pradesh Government Forest Department as under :—

S. No.	Name of Forest Circle	Name of District	Name of Forest Division	Name of Sub Division (H. Q.)	Name of Ranges included (H. Q.)	Details of boundries of Sub Division
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Khandwa	Khargone	Barwaha	Barwaha (Barwaha)	Barwaha (Barwaha) Kalkut (kalkut) Sanawad (Sanawad)	North. —Boundary of Indore District. East. —District Boundary of Dewas and Khandwa. South. —Tehsil Boundary in Bhikangaon and Boundary of Khargone Division. West. —Range Boundary Balwada and Padliya
2	Khandwa	Khargone	Barwaha	Mandleshwar (Mandleshwar)	Mandleshwar (Mandleshwar) Padliya (Padliya) Kakarda (Kakarda) Balwada (Balwada)	North. —Boundary of Indore District. East. —Range Boundary of katkut and Barwaha. South. —Narmada River and Tehsil Boundary of Kasrawad West. —District Boundary Dhar District

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh
RATAN PURWAR, Secy.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कुलाधिपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर, मध्यप्रदेश

आदेश

राजभवन, भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2010

क्र. एफ.-1-1-2009-रास-यूए-1-494.—डॉ. अजीत सिंह सेहरावत, कुलपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर द्वारा दिनांक 29 मार्च 2010 को प्रस्तुत त्यागपत्र तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किया जाता है।

“मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973” की धारा 14 की उपधारा (6) के प्रावधानांतर्गत में, रामेश्वर ठाकुर, कुलाधिपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर, एतद्द्वारा, डॉ. आशुतोष मिश्रा, रेक्टर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर को नये कुलपति की नियुक्ति होने तक के लिये उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति का कार्य सम्पादित करने के लिये नाम-निर्देशित करता हूँ।

रामेश्वर ठाकुर, कुलाधिपति.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

भिण्ड, दिनांक 29 मार्च 2010

क्र. क्यू-2-सामा.-40-2010-3452.—सामान्य परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक चार एवं मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्र. एफ. 3-2-1999-एक-चार, दिनांक 30 मार्च 1999 में निहित प्रावधानों के अनुक्रम में, भिण्ड जिला अंतर्गत वर्ष 2010 में निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित किये गये हैं :-

क्रमांक (1)	दिनांक (2)	दिन (3)	त्यौहार का नाम (4)
1	2 मार्च 2010	मंगलवार	होली (भाईदूज)
2	25 अगस्त 2010	बुधवार	रक्षाबंधन का दूसरा दिन (भुजरिया विसर्जन)
3	6 नवम्बर 2010	शनिवार	दीपावली भाईदोज

उक्त अवकाश बैंक एवं कोषालय पर लागू नहीं होंगे।

रघुराज एम. राजेन्द्रन, कलेक्टर.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 22 जनवरी 2009

क्र. 313-भू-अर्जन-2009-प्र. क्र. 3-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	सैलाना	कोलपुरा कैसरपुरा सेमलखेड़ा गरेठी	1.08 0.98 0.16 2.65	अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, उपसंभाग, सैलाना.	कोलपुरा तालाब के नहर निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन.
कुल योग :			4.87		

भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.

रतलाम, दिनांक 23 मार्च 2010

क्र. 1202-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 13-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	बाजना	रावटी	0.33	धोलावाड़ शीर्ष कार्य, उप संभाग बासिन्द्रा.	भीमपुरा उप नहर से निकलने वाली 5-एल. मायनर के एक्स- टेशन कार्य में आने वाली भूमि का भू-अर्जन बाबत.

भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1204-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 24-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	सैलाना	सैलाना	3.160	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग रतलाम.	सैलाना बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेन्द्र ज्ञानी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 18 मार्च 2010

प्र. क्र. 1-अ-82-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील/तालुका	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल खसरा नम्बर रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायसेन	बेगमगंज	खैरी त. पडरिया	17/5 15, 18/5 15, 18/3 26/1 27/1 26, 27/2/1 26, 27/2/2	0.283 0.700 0.036 0.076 0.020 0.150 0.154	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, रायसेन. तालाब योजना

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			26, 27/2/3	0.150	
			26, 27/2/4	0.150	
			26, 27/2/5	0.150	
			19	1.360	
			28/1/1/1	0.186	
			21/1	0.186	
			28/1/1/3	0.162	
			28/1/1/4	0.223	
			28/1/1/5	0.506	
			25	0.344	
			23, 24	0.308	
			22	0.109	
			21/2	0.809	
			147/19	1.416	
			योग . .	<u>7.478</u>	

रतनहारी

2/1/1	0.320
433/257	0.162
2/1/2	0.320
2/2, 3	0.522
4/1	0.234
4/2	0.486
414/8	0.044
4/3	0.157
7	0.332
5	0.150
9	0.073
6	0.081
413/5	0.121
419/9	0.040
10	0.178
40/1	0.607
254	0.109
420/10	0.036
421/10	0.028
40/2	0.190
408/40	0.356
253	0.194
255	0.109
434/257	0.971
योग . .	<u>5.820</u>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			देहगवां		
			313	0.316	
			316	0.097	
			221/2/2	0.190	
			314	0.194	
			305/1/2/1	0.364	
			303	0.425	
			340/304	0.093	
			304	0.121	
			332/280	0.134	
			280	0.453	
			281	2.185	
			282	0.388	
			283	1.231	
			222/2	1.368	
			221/3	0.210	
			305/1/1/1	0.080	
			305/1/1/2	2.210	
			221/1/3	0.134	
			302	0.125	
			301	0.318	
			387/217/1	0.227	
			300	0.073	
			289	1.194	
			286	0.741	
			287	0.150	
			288	1.311	
			221/1/4	0.170	
			ग्राम का योग .	<u>14.502</u>	
			कुल योग . .	<u>27.800</u>	

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनीता त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 19 मार्च 2010

क्र. 562-भू-अर्जन-2010-रा. प्र. क्र. -अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों

के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	बिजौरी	0.40 निजी भूमि	कार्यपालन यंत्री जलसंसाधन संभाग क्र. 01, झाबुआ.	तम्बोलिया तालाब नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 564-भू-अर्जन-2008-रा. प्र. क्र.-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	बडीदेहण्डी	3.82	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग पेटलावद जिला झाबुआ.	माही परियोजना की गेहण्डी माईनर नहर निर्माण हेतु.
		योग . .	<u>3.82</u>		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

झाबुआ, दिनांक 23 मार्च 2010

क्र. 610-भू-अर्जन-2009-रा. प्र. क्र.-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	पारेवा	1.87	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, झाबुआ.	पारेवा तालाब के नहर निर्माण हेतु.
		योग . .	<u>1.87</u>		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 616-भू-अर्जन-2009-रा. प्र. क्र.-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	पटेल नाका	1.11	कार्यालयन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, झाबुआ.	पटेल नाका तालाब के नहर निर्माण हेतु.
		योग . .	<u>1.11</u>		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जगदीश शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मनावर, दिनांक 19 मार्च 2010

संशोधित अधिसूचना

क्र. 358-भू-अर्जन-औ.एस.पी.-2010-भू-अर्जन-प्र. क्र.-62-अ-82-2008-09.—कार्यालयीन पत्र क्र. 2659-भू-अर्जन-स.स.प./09, मनावर, दिनांक 10-6-09 के अनुसार ग्राम बजट्टाखुर्द, तहसील मनावर, जिला धार का रकबा 14.099 हेक्टर के भू-अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना के प्रयोजन औंकारेश्वर नहर परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण से प्रभावित का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र के भाग एक पृष्ठ क्रमांक 1499 पर दिनांक 19-6-09 को तथा दैनिक समाचार पत्र नई दुनिया दिनांक 18-6-09 में प्रकाशन हुआ है. जिनका जी नम्बर 13285/09 है.

उपरोक्त प्रकाशन में से निम्नानुसार पंक्तियों को विलोपित किया जाता है :-

“राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17(1), सह धारा 17(4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं.”

शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी.

धार, दिनांक 23 मार्च 2010

क्र. 3480-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों

को सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	गंधवानी	इन्दला	47.964	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मनावर, जिला धार.	इन्दला तालाब परियोजना अन्तर्गत डूब प्रभावित होने से.
कुल योग :			<u>47.964</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मनावर जिला धार, मध्यप्रदेश के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

धार, दिनांक 30 मार्च 2010

संशोधित उद्घोषणा

क्र. 421-भू-अर्जन-औ.एस.पी.-2008-09-भू-अर्जन-प्रकरण क्र.-अ-82-2008-09.—कार्यालय पत्र क्रमांक 2687-भू-अर्जन-09-धार, दिनांक 15 जून 09 ग्राम देवगढ़, तहसील मनावर, जिला धार का रकबा 31.171 हेक्टेयर के भू-अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम 1894 (सन् 1894 क्रमांक-एक) की धारा 4 के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा के प्रयोजन औंकारेश्वर नहर परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण से प्रभावित का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग 1, दिनांक 26 जून 09 पर तथा दो समाचार पत्रों क्रमशः इन्दौर समाचार दिनांक 27 जून 09 तथा अग्निबाण दिनांक 25 जून 2009 प्रकाशन हुआ है. जिनका जी नंबर 13653/09 है.

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	देवगढ़ प.ह.नं. 19/53	31.971	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 30 मनावर.	औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर आर. डी. 145000 कि.मी. से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 16 एवं उसकी माईनर क्र. 1,5,6,7,8 के निर्माण से प्रभावित होने वाली भूमि.

• शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 25 मार्च 2010

प्र. क्र. 09-अ-82-07-08 .—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	नटेरन	नशरतगढ़	60.010	भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन	संजय सागर परियोजना के निर्माण कार्य हेतु.
योग : <u>60.010</u>					

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 26 मार्च 2010

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ. 08 पत्र क्र. 565-भू-अर्जन-08 .—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा लगभग (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	खरमसेडा	19.789	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, सतना.	मोहास तालाब योजना

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

सतना, दिनांक 29 मार्च 2010

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ. 08 पत्र क्र. 571-भू-अर्जन-08 .—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	छाहन	7.833	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, सतना.	अमझर तालाब योजना

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ. 08 पत्र क्र. 572-भू-अर्जन-08 .—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	अमझर	2.629	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, सतना.	अमझर तालाब योजना

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुखबीर सिंह कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 27 मार्च 2010

क्र. क-2675-प्र.भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
(1)	(2)	(3)	कुल खसरा नं. (4)	कुल रकबा (हे. में) (5)	(6)	(7)
सागर	सागर	तोडातरफदार	971/2	0.38	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, सागर.	धसान नदी के पहुंच मार्ग निर्माण में आने वाली निजी भूमि.
			973	0.77		
कुल योग			2	1.15		

नोट:— भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय सागर में देखा जा सकता है.

क्र. क 2676-प्र.भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधि भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
(1)	(2)	(3)	कुल खसरा नं. (4)	कुल रकबा (हे. में) (5)	(6)	(7)
सागर	सागर	रमपुरा	142/2	0.40	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, सागर.	बेवस नदी पर पहुंच मार्ग में आने वाली निजी भूमि.

नोट:— भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय सागर में देखा जा सकता है.

क्र. क-2677-प्र.भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाना (6) में

उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधि भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल	प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	कुल खसरा नं.	कुल रकबा (हे. में)	(6)	(7)
सागर	सागर	बखरा	45	0.45	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, सागर.	बेवस नदी पर पहुंच मार्ग में आने वाली निजी भूमि.
			कुल योग	0.45		

नोट:— भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय सागर में देखा जा सकता है.

क्र. क-प्र. भू-अर्जन-2009-10-2678.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा (4) उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत है.

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का विवरण		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल	प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	कुल खसरा नं.	कुल रकबा (हे. में)	(6)	(7)
सागर	देवरी	बरकोटी कलॉ	6	3.08	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्र. 1, सागर.	रानगिर जलाशय योजना शीर्ष कार्य.

(2) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिए आवश्यक है:—1. रानगिर जलाशय योजना शीर्ष कार्य के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष श्रीवास्तव कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नीमच, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नीमच, दिनांक 30 मार्च 2010

क्र. 649-भू-अर्जन-2010 प्र. क्र. 2-अ-82-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों

के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नीमच	नीमच	दीपूखेड़ी	0.15	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मन्दसौर.	रेतम बैराज परियोजना के अन्तर्गत डूब के आंशिक प्रभावित मकानों का अधिग्रहण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड-नीमच के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 30 मार्च 2010

क्र. 218-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं. :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	इटौरा	11.247	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा (म. प्र.)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आनेवाली क्योटी नहर की बोदा डिस्ट्रीब्यूटरी एवं टिकुरी माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 12 मार्च 2010

क्र. 3048-भू-अर्जन-2009.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—सरदारपुर
(ग) ग्राम—सलवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.325 हेक्टर.

सर्वे नम्बर निजी (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
856/3	0.080
1540	0.015
1554	0.230
योग . .	<u>0.325</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—माही उप बांध की दांयी तट नहर की शाखा नहरों के निर्माण अन्तर्गत डूब से प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदारपुर तथा कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना संभाग क्रमांक 1, लाबरिया, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

धार, दिनांक 23 मार्च 2010

क्र. 3485-भू-अर्जन-2010-प्रकरण क्र. अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा

6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—सरदारपुर
(ग) ग्राम—राजोद
(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.886 हेक्टर.

सर्वे नम्बर निजी (1)	अर्जित रकबा (2)
1934/1	0.030
1934/2	0.060
1934/3	0.050
1934/4	0.060
1934/5	0.040
1934/6	0.055
1934/7	0.060
1934/8	0.060
1959	0.360
1960	0.240
1964/2	0.005
2490/2	0.180
2507	0.120
2677/1	0.005
2677/2	0.005
2556	0.040
2558	0.070
2078/1	0.140
2083	0.100
2081/1	0.030
2658/4	0.070
2655/1	0.100
2193/1	0.010
2161	0.150
2134	0.010
2163	0.350
2164	0.190
2165/1	0.420
2165/2	0.080
2195	0.140
2190	0.030
2192	0.040

(1)	(2)	(1)	(2)
2110/1/2	0.010	2718	0.140
2110/1/1	0.030	2725	0.120
2152	0.340	2731	0.030
2156	0.140	2732	0.030
2286	0.157	2733	0.030
2338/2	0.094	2375/1/1	0.050
2508/1	0.130	2375/1/2	0.070
2509	0.150	2375/2	0.005
2515	0.200	2384/2	0.070
2516/1	0.010	2384/1	0.100
2516/2	0.120	2387	0.040
2516/3/1	0.200	2388	0.030
2516/3/2	0.005	2389	0.020
2520	0.200	2341/1	0.040
2522	0.005	2341/4	0.060
2526/1	0.220	2342	0.280
2527/2	0.045	2345	0.070
2655/1	0.100	2374	0.400
2656/2	0.060	2333/1	0.100
2656/3	0.040	2333/2/1	0.040
2658/1	0.080	2336/3	0.020
2658/2	0.070	2340/1	0.060
2658/3	0.220	2340/2/2	0.050
2659/1	0.030	2413	0.050
2659/2	0.010	1934/9	0.040
2660/1	0.005	2710	0.010
2661/1/1	0.005	2490/1	0.190
2662/2	0.005	योग . . .	<u>9.886</u>
2664/1	0.080		
2664/2	0.140	(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—माही परियोजना उपबांध की दांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली लघु नहर के निर्माण कार्य से प्रभावित होने से.	
2664/3	0.090		
2668	0.005		
2671	0.340		
2673/1	0.010		
2673/2	0.020	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदारपुर एवं कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना संभाग क्रमांक 1, लाबरिया, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.	
2690	0.080		
2691/2	0.005		
2693	0.600		
2708	0.120		
2706/2	0.050		
2711/2	0.010		
2714	0.080		
2715	0.010		
2716	0.120		

धार, दिनांक 26 मार्च 2010

क्र. . . प्र. क्र. 14-अ-82-08-09-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2)

में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—कुक्षी
(ग) ग्राम—चरीमांडवी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.172 हेक्टर.

सर्वे नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
2/2	0.140
2/1	0.100
3/2	0.400
3/1	1.042
4/4	0.490
योग . .	<u>2.172</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—“ओंकारेश्वर परियोजना की दायीं तट मुख्य नहर की आर. डी. 156200 मी. से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 17 (मलवाडा डिस्ट्री.) के निर्माण हेतु”.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्रि, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 मनावर, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. प्र. क्र. 15-अ-82-08-09-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—कुक्षी
(ग) ग्राम—कटनेरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—13.877 हेक्टर.

सर्वे नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
207/5	0.058
207/4	0.056
207/3/1	0.043
207/3/2	0.057
207/2	0.057
212/3	0.200
207/1	0.086
208/1	0.137
208/2/1	0.129
208/2/2	0.057
208/2/3	0.072
208/2/4	0.072
208/2/5	0.072
203/1/5	0.130
209/3	0.130
209/1/1	0.130
203/2/1	0.072
209/2	0.057
209/1/2	0.130
203/2/2	0.064
203/2/3	0.080
203/2/4	0.058
203/1/1	0.130
203/1/2	0.072
203/1/3	0.072
203/1/4	0.058
217/2/1	0.299
218/3	0.264
218/2	0.264
201/1	0.253
201/2	0.398
200/2/4	0.029
197	0.316
198/1/1	0.216
198/2	0.029
198/3	0.029
192/1	0.331
191	0.211
188/1, 190/1, 188/2	0.220
189	0.334
184	0.072
185	0.043

(1)	(2)	
177/1	0.616	आर. डी. 4140 मी. से 4980 मी. तक एवं आर. डी. 4290 मी. से निकलने वाली कटनेरा एम. आर. 1
167	0.331	(4 आर. एम. आर.) आर. डी. 0 से 2210 मी. तक के निर्माण हेतु''.
164/2	0.202	
165	0.246	
118/2	0.396	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 मनावर, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है.
119/1	0.898	
104/2/2	0.152	
104/2/3	0.168	
104/2/4	0.060	
104/1	0.130	
146/1	0.072	
147/3	0.064	
146/2	0.115	
145	0.065	
147/2	0.103	
153/1	0.043	
139/1	0.058	
139/2	0.101	
139/3/1	0.101	
139/4	0.101	
73	0.230	
72/1	0.230	
207/6	0.740	
211/3	0.160	
211/4	0.160	
215	0.260	
216/2	0.200	
217/2/3	0.560	
217/3	0.180	
220/3	0.040	
217/2/2	0.202	
105/1/2	0.025	
105/1/1/2	0.251	
94	0.098	
95/1	0.519	
104/1/4	0.264	
79	0.058	
147/1	0.091	
योग . . .	<u>13.877</u>	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—“ओंकारेश्वर परियोजना मुख्य नहर की आर. डी. 162700 मी. से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 18 की

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—“ओंकारेश्वर परियोजना की वितरण नहर की आर.

क्र. प्र. क्र. 16-अ-82-08-09-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—कुक्षी
(ग) ग्राम—बबूलगांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.042 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
2/1	0.273
2/2	0.185
5/2	0.132
5/3	0.114
5/4	0.141
7/1	0.220
7/2	0.220
8/1	0.378
23/2/1	0.273
25	0.255
26/2	0.270
27/1	0.308
28/2	0.273

योग . . . 3.042

डी. 156200 मी. से निकलने वाली एवं डी. व्हाय. 17 की खेडा माईनर 1640 से 2360 एवं करोदियां माईनर की आर. डी. 1720 से 2370 मी. के निर्माण हेतु”.

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 मनावर, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. प्र. क्र. 17-अ-82-08-09-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—कुक्षी
(ग) ग्राम—बोधवाड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.864 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1/1	0.686
1/2	0.185
2	0.704
29/1	0.318
29/2	0.187
24	0.250
22	0.230
26/2	0.044
23/1	0.260

योग . . . 2.864

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—“ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 156200 मी. से निकलने वाली एवं डी. व्हाय. 17 से निकलने वाली जहुर माईनर एवं बोधवाड़ा माईनर के निर्माण हेतु”.

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 मनावर, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. प्र. क्र. 18-अ-82-08-09-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—कुक्षी
(ग) ग्राम—पिपल्या
(घ) लगभग क्षेत्रफल—19.373 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
13/2	0.316
13/1	0.372
14/1	0.045
14/2	0.045
14/3	0.045
191/1ग	0.335
191/1ख	0.140
192/1	0.316
192/2	0.088
195/1	0.528
195/8	0.485
195/4	0.088
193/1	0.211
193/3	0.158
194/2/1	0.264
204/2/1	0.528
204/4ख	0.472
206/2	0.167
207	0.229
212/1, 212/2, 212/3	0.537
213	0.265

(1)	(2)	(1)	(2)
228/1	0.177	120/2	0.369
254/3	0.168	120/3	0.130
17	0.298	19/6	0.156
12/1	0.282	19/5	0.153
12/2क	0.230	19/4	0.129
12/2ख	0.360	240/1	0.360
211/1क	0.105	240/2	0.101
211/5	0.106	241/1	0.302
210/2	0.518	241/2	0.302
80/3	0.116	80/2	0.066
80/1	0.067	106/3/1	0.122
106/1	0.274	120/5	0.186
106/2	0.130	125	0.086
104/1	0.090	235/9	0.102
106/4	0.100	227/2	0.162
106/5	0.115	228/2	0.193
126	0.158	256/2	0.194
127	0.172	257/1/2	0.115
128/1	0.244	71/1	0.140
128/2	0.115	71/2	0.032
120/4	0.130	71/3	0.140
128/3	0.158	20/1	0.160
235/3	0.115	194/2/2/1	0.185
235/4क	0.094	194/2/2/2	0.317
235/4ख	0.083	204/6	0.106
255/1	0.176	212/4	0.123
255/2	0.176	212/5	0.052
255/3	0.176	212/6	0.088
257/2	0.151	227/1	0.158
68/1/1	0.259		
68/1/2	0.040		
68/1/3	0.115		
69	0.302		
195/2	0.299		
135/2	0.060		
116	0.206		
124	0.115		
117	0.480		
118	0.546		
123	0.144		
22	0.358		
21	0.563		
119	0.210		
120/1	0.229		
		योग . .	<u>19.373</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—“औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण नहर क्रमांक 18 की आर. डी. 1470 मी. से 6720 तथा पिपल्या उप नहरों एवं लघु नहरों एवं चिखल्दा व कडमाल उपनहरों के निर्माण हेतु”.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, कुशी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 मनावर, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. प्र. क्र. 19-अ-82-08-09-भू-अर्जन-10.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

(1)	(2)
189/2/2	0.260
189/1/1/2	0.180
189/1/1/1	0.240
169/1ख	0.172
91	0.180
189/2/3	0.260
योग . . .	<u>6.775</u>

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—कुक्षी
(ग) ग्राम—बेडवाल्या
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.775 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1/1क	0.020
176/1	0.034
185/3/2	0.375
185/3/1	0.380
186	0.460
188	0.082
194/1	0.215
194/2	0.215
187/2/1	0.013
193/2	0.164
193/1	0.122
165/1	0.159
165/2	0.080
165/4	0.080
165/3	0.080
189/1/2/1	0.220
164/1	0.140
164/2	0.140
164/3	0.075
164/4	0.075
160	0.448
132	0.449
189/1/2/3	0.366
189/2/1	0.250
136/1	0.621
189/1/2/2	0.220

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—“ऑकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण नहर क्रमांक आर. डी. 156200 मी. से निकलने वाली चिखल्दा माईनर एम. आर. एस. एम. 1 डी. एम. 78, 79 के निर्माण हेतु”.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 मनावर, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. प्र. क्र. 20-अ-82-08-09-भू-अर्जन-10.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—कुक्षी
(ग) ग्राम—बटगांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.684 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
26/2/3	0.334
26/2/1	0.088
26/1/1	0.350
52/3	0.090
31/1	0.387

(1)	(2)	(1)	(2)
36/1	0.352	323	0.350
42/1	0.387	313/1ख	0.225
41/1	0.352	312/1ख	0.060
40/1	0.344	311/2/2	0.460
योग . .	<u>2.684</u>	305/1क	0.205
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—“औकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 156200 मी. से निकलने वाली डी. व्हाय 17 की करोदियां माईनर के निर्माण हेतु.”		311/1	0.360
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, कुशी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 मनावर, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है.		305/1ख	0.300
		310/1	0.360
		310/2	0.075
		310/3	0.080
		306/2	0.240
		306/3	0.220
		300	0.305
		299	0.200
		270/1	0.030
		265/1	0.210
		275/2/1	0.300
		277/2	0.040
		245	0.100
		240/1	0.060
		244/2	0.050
		242	0.080
		241	0.160
		240/2	0.140
		232/2	0.340
		232/1	0.640
		235/1	0.500
		232/4/4	0.020
		232/5	0.300
		232/4/3	0.020
		232/3/2/1	0.150
		232/3/2/2	0.220
		250	0.240
		236	0.010
		249/1	0.140
		251	0.260
		252	0.320
		140/2	0.140
		140/1	0.120
		144/1	0.200
		144/2	0.380
		145	0.340
		265/2	0.400
		270/2	0.030
सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)		
126/2	0.050		
127/2	0.380		
126/1	0.280		
127/1ख	0.180		
329/1	0.410		
328/2	0.220		
328/1	0.260		
325/5	0.440		
322/2/1	0.320		
322/2/2	0.100		

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—कुशी

(ग) ग्राम—ननोदा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—18.550 हेक्टर.

सर्वे नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

126/2

0.050

127/2

0.380

126/1

0.280

127/1ख

0.180

329/1

0.410

328/2

0.220

328/1

0.260

325/5

0.440

322/2/1

0.320

322/2/2

0.100

(1)	(2)
274/2	0.100
275/2/2	0.540
275/1	0.100
277/1	0.125
99	0.340
76	0.800
80/3	0.160
80/4	0.620
72/2	0.140
71/2	0.140
125/4/5	0.100
125/4/6	0.120
125/3/4	0.070
125/3/3	0.060
147/1/1	0.560
109	0.400
101	0.170
100	0.430
87	0.540
98/1/1	0.140
125/3/2	0.045
125/3/1	0.055
125/2/2	0.140
125/1/4	0.060
125/1/3	0.045
125/1/2	0.050
123	0.160
124	0.260
122	0.060
योग . .	<u>18.550</u>

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—कुक्षी

(ग) ग्राम—चिखल्दा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.826 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
32/2	0.240
47	0.372
48	0.238
50/1/2/1	0.198
50/2क	0.176
51	0.580
82/2	0.030
10/1	0.030
13/1	0.050
68	0.190
69/1	0.140
70	0.290
72/1/1	0.154
74	0.066
133/2	1.692
133/3	0.066
133/4	0.100
134/4	0.430
134/2	0.484
139/1/1	0.175
140/1/1	0.010
139/1/2	0.175
140/1/2	0.030
138/1	0.087
138/5	0.213
148/1/2	0.050
145/1	0.350
146/1/1	0.320
148/1/3/1	0.186
148/1/3/2	0.264
148/4	0.250

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—“औकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 162700 मी. से निकलने वाली वितरण नहर क्रमांक 19 तथा उसकी माईनरों के निर्माण हेतु.”

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 मनावर, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. प्र. क्र. 24-अ-82-08-09-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः

(1)	(2)	(1)	(2)
110/1	0.250	117/1	0.088
109/3	0.250	116/2	0.088
108/1/3	0.180	116/1	0.062
107/2/3	0.200	110	0.149
106/1/3	0.110	107/2/1	0.202
105/3	0.100	107/2/2	0.202
105/4	0.100	107/1/3	0.220
योग . . .	<u>8.826</u>	107/1/2	0.194
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—“ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 162700 मी. से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी क्रमांक 18 की एस. एम. 1 तथा लेफ्ट माईनर क्रमांक 8 के निर्माण हेतु.”		106/4	0.052
		106/5	0.106
		102/5/1	0.090
		102/2/1	0.299
		102/4/2	0.108
		102/4/1	0.141
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, कुशी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 मनावर, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है.		102/1	0.202
		102/3/1	0.301
		102/2/2	0.158
		102/5/2	0.053
		57/1/2	0.114
		57/2	0.264
		66/2	0.088
		137/1	0.202
		137/2	0.554
		138/1/1क, 138/2क	0.265
		130/1	0.286
		130/2	0.858
		139	0.702
		142/2	0.301
		177/2	0.180
		104/1/1	0.070
		100/1/2	0.326
		58/1/1/1/7	0.088
		59/1	0.097
		63/5	0.018
		143/2	0.064
		59/2/1	0.031
		63/4	0.032
		64/5	0.011
		59/2/2	0.120
		63/3	0.034
		63/6	0.245
		104/1/2	0.125
		142/1/1	0.240
		142/1/2	0.160

धार, दिनांक 27 मार्च 2010

प्र. क्र. 11-अ-82-08-09-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—कुशी

(ग) ग्राम—रसवा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.265 हेक्टर.

सर्वे नम्बर रकबा (हेक्टर में)

(1) (2)

119/1	0.141
119/2	0.132
118	0.185
117/2	0.053

(1)	(2)	(1)	(2)
66/1	0.212	87/5	0.105
63/2	0.052	87/2	0.358
59/4	0.062	106/1क	0.438
142/1/3	0.150	106/2क	0.240
102/5/3	0.088	87/3क	0.112
योग . . .	<u>9.265</u>	87/1ख	0.090
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—“ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर 162700 मी. से निकलने वाली डी. व्हाय 18 मलवाडा रेक्ट्री माईनर-2 आर. एम. आर. के निर्माण हेतु.”		107	0.410
		89/6	0.132
		204/1	0.487
		204/2	0.223
		203/1	0.120
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, कुशी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है.		202/2	0.420
		201	0.140
		200	0.490
		219/1/1	0.015
		188/2	0.470
		188/1	0.180
		185	0.120
		182/3	0.228
		179/3	0.920
		178/1	0.090
		88	0.128
		89/1	0.125
		89/2	0.052
		192/1/2क	0.395
		89/3	0.050
		89/4	0.060
		89/5	0.098
		101/2	0.038
		100	0.034
		101/3/2	0.338
		86/2	0.245
		86/1/6	0.040
		86/1/1	0.253
		86/1/5	0.108
		86/1/2	0.263
		82/2	0.375
		117	0.450
		194/1	0.482
		192/1/1	0.322
		195/1	0.920
		195/2/1	0.360
		184	0.009
		151, 154	0.006
		योग . . .	<u>13.887</u>
प्र. क्र. 12-अ-82-08-09-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-			
अनुसूची			
(1) भूमि का वर्णन—			
(क) जिला—धार			
(ख) तहसील—कुशी			
(ग) ग्राम—कोलगांव			
(घ) लगभग क्षेत्रफल—13.887 हेक्टर.			
सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)		
68/1	0.442		
69/1	0.320		
71/1	0.258		
71/2/1	0.278		
71/2/2	0.178		
68/2	0.620		
87/2/1	0.392		
106/1ख	0.112		
87/1क	0.213		
106/2ख	0.135		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—“ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 162700 मी. से शाखा क्र. 19 की रेक्टी माईनर एम. आर. 4 आर. डी. 2330 मी. से 5980 मी. टेल व इसकी सब-माईनर एस. एल.-1 आर. डी. 0 मी. से 780 मी. और एस. एम.-2 आर. डी. 0 मी. से 1630 मी. के निर्माण हेतु.”

(1)	(2)
61/2/1	0.280
61/2/2	0.020
61/6	0.275
61/4	0.400
योग . . .	<u>5.073</u>

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, कुशी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 मनावर, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—“ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर क्रमांक 17 के अन्तर्गत चिखल्दा माईनर-2 की आर. डी 2940 से 5020 मी. के निर्माण हेतु.”

नोट:—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, कुशी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 मनावर जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 13-अ-82-08-09-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

प्र. क्र. 22-अ-82-08-09-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—कुशी
(ग) ग्राम—पूरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.073 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
25	0.290
26/1	0.048
27/1	0.352
24/1	0.544
24/2	0.496
34/2, 35/1/1,35/1/3	0.490
34/3/3, 35/2/3,36/2/3	0.308
69/1/1	0.250
69/1/2	0.170
69/2	0.220
69/3	0.200
67/1क	0.500
67/2	0.080
66	0.150

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—कुशी
(ग) ग्राम—खेडा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.582 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
19	0.141
18/4	0.160
20	0.246
21/1	0.211
22/1/1	0.282
29/1/2/2	0.264
30/2,30/3}1	0.200
30/2,30/3}2	0.200
30/2/30/3}3	0.200
37/1	0.387
36/1/1	0.194

(1)	(2)	(1)	(2)
36/2	0.158		
38	0.142	5/1	0.305
39/2/1	0.142	2/2, 11/2	0.447
39/1/3	0.123	12/1/2	0.245
41	0.510	12/2/2, 1/2, 12/1/1	0.235
13/2/1	0.299	12/2/1	0.220
13/1	0.263	48	0.633
12/8	0.140	47	0.255
10/2	0.238		योग . . . 2.610
10/1/1	0.238		
9/1	0.212		
9/2	0.212		
12/5	0.140		
12/6	0.140		
12/7	0.140		
	योग . . . 5.582		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—“ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 156200 मी. से करोदिया माईनर डी व्हाय 17 की आर.डी. 2370 से 3740 मी. तक के निर्माण हेतु.”

नोट:—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, कुशी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र. 30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 25-अ-82-08-09-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार	(ख) तहसील—कुशी	(ग) ग्राम—बाजडीखेड़ा	(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.610 हेक्टर.
सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)		
5/2	0.270		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—“ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 162700 मी. से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 18 की आर.डी. 8930 मी. से 9250 मी. तक एवं 11 एल माईनर बाजडी की आर.डी. 600 मी. से टेल 1050 के निर्माण हेतु.”

नोट:—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, कुशी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 मनावर जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 26-अ-82-08-09-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार	(ख) तहसील—कुशी	(ग) ग्राम—निसरपुर	(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.470 हेक्टर.
--------------	----------------	-------------------	----------------------------------

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
445	0.135
446/1	0.135
443	0.588
442	0.619
432	0.892

(1)	(2)	(ग) ग्राम—अमलाबावडी	(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.020 हेक्टर.
		सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
		(1)	(2)
427/1, 427/2	0.485	16/1	0.398
426/1	0.325	13/1	0.349
426/2	0.221	13/2	0.245
425/3	0.522	12/1	0.450
416/4	0.274	12/2	0.280
417/2	0.218	19/1	0.253
430	0.038	16/2	0.389
429	0.170	20	0.235
428	0.194	21/1	0.440
421/1/2	0.402	22	0.240
420/1	0.209	34	0.225
420/2	0.099	23	0.175
420/3	0.121	37	0.583
341/1/4	0.115	75/1	0.200
341/1/2	0.165	75/2	0.180
342	0.178	42/3	0.440
343	0.163	42/1	0.240
406	0.072	42/2/1	0.180
344/5	0.130	42/2/2	0.180
योग . . .	<u>6.470</u>	47/1	0.138
		47/2	0.119
		47/3	0.119
		76/1	0.275
		76/2	0.225
		76/3	0.462
		योग . . .	<u>7.020</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—“ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 162700 मी. से निकलने वाली वितरण नहर क्र. 18 की कोठडा टेल माईनर की आर.डी. 855 मी. से 20060 मी. व इसकी सब माईनर 0 मी. से 720 मी. के निर्माण हेतु”.

नोट:—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 27-अ-82-08-09-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—कुक्षी

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—“ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 162700 मी. से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 18 डी. व्हाय की आर.डी. 9350 मी. से टेल आर. डी. 10900 मी. व कोठडा टेल माईनर की आर.डी. 00 मी. से 825 मी. तक व बाजडी माईनर की आर.डी. 00 मी. से 600 मी. के निर्माण हेतु”.

नोट:—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र. 30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 28-अ-82-08-09-भू-अर्जन-10.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—कुशी
(ग) ग्राम—कडमाल
(घ) लगभग क्षेत्रफल—11.637 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
20	0.470
17	0.210
19	0.470
23/3	0.525
23/2	0.232
8/3 पैकी	0.350
25	0.097
27/1/2	0.438
27/2	0.413
48/1/1	0.190
48/1/2	0.223
48/2	0.425
40	0.465
80	0.345
79/1	0.208
79/2	0.208
41/2	0.380
43/2	0.423
41/1	0.380
107	0.090
106/1	0.250
106/3	0.045
105/2/2	0.245
105/1/2/2	0.101
105/1/2/4	0.101
105/1/1	1.126
105/1/2/3	0.968
104/1	0.088

(1)	(2)
104/2	0.880
100/1	0.114
100/2	0.061
100/3	0.172
100/4	0.319
82/1	0.230
82/2	0.210
83/1	0.185

योग . . 11.637

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—“ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 162700 मी. से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 18 की आर.डी. 6720 मी. से आर.डी. 8930 मी. व इसकी कडमाल माईनर की आर.डी. 00 मी. से 1920 मी. तक के निर्माण हेतु.”

नोट:—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, कुशी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र. 30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 29-अ-82-08-09-भू-अर्जन-10.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—कुशी
(ग) ग्राम—गेहलगांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.715 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
20/1 पैकी	0.288
20/2 पैकी	0.414
17/2	0.482
22	0.220
21/1 ख	0.370
25/1 क	0.050

(1)	(2)
25/5	0.350
25/3	0.088
25/4	0.075
48/2	0.105
48/3	0.148
49/1	0.105
49/2	0.105
47/1	0.250
47/2	0.149
45/1	0.242
45/3	0.182
45/4	0.182
45/5	0.268
36/1	0.355
36/2	0.115
36/3	0.258
76/3	0.176
77/4	0.185
80/4	0.325
81/2	0.168
82	0.150
85	0.308
113	0.440
116/1	0.396
130	0.308
128/2	0.280
128/3/1	0.250
127/1/1	0.235
127/4	0.209
126/2	0.259
126/3	0.225
योग . .	<u>8.715</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—“ओंकारेश्वर परियोजना की वितरण नहर क्रमांक 17 की करोदिया माईनर की आर.डी. 7470 मी. से 9210 मी. तक एवं वितरण नहर क्रमांक 18 कडमाल माईनर 1 की आर. डी. 330 मी. से 1410 मी. एवं सब माईनर 1 की आर.डी. 00 से 1060 मी. के निर्माण हेतु”.

नोट:—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 30-अ-82-08-09-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—कुक्षी

(ग) ग्राम—रेक्ट्री

(घ) लगभग क्षेत्रफल—11.574 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
189/2/2	0.274
185/2/2	0.216
185/2/1	0.490
186	0.425
182	0.316
178/3	0.122
178/2	0.230
178/1	0.043
177/2	0.245
177/1	0.101
176/4	0.043
176/3	0.058
176/2	0.072
76/1	0.059
176/1	0.072
76/4	0.158
174/3	0.101
76/2	0.072
76/3	0.086
77/3	0.115
77/2	0.101
77/1	0.201
78/2	0.144
79	0.244
96/1/1	0.187
85	0.304
102/1	0.159
104/1	0.058

(1)	(2)
51	0.057
185/1/2	0.057
190/1	0.086
190/2	0.094
190/3	0.130
160/4	0.086
190/6	0.172
184/2	0.405
179/4	0.648
95	0.058
171/2/1	0.259
171/4	0.187
171/3	0.115
171/1	0.216
172/2	0.288
172/1	0.245
80/2/1	0.317
80/2/2	0.099
175	0.043
24	0.043
174/1/1	0.121
78/1	0.124
55/3/1	0.065
102/3	0.094
97/1/3	0.203
97/2	0.101
97/3	0.101
97/4	0.101
101/1	0.130
102/2	0.144
94/1/1	0.115
61	0.157
80/3	0.171
80/6	0.074
80/4	0.063
74/1 पैकी	1.094
74/1 पैकी	0.385
137/1	0.030
योग . . .	<u>11.574</u>

नोट:—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, कुशी एवं कार्यपालन यंत्रि नर्मदा विकास संभाग क्र. 30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 31-अ-82-08-09-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—कुशी
(ग) ग्राम—मलवाडा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—12.894 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
49/1	0.246
48/1	0.308
47/1/1/3	0.132
47/1/1/2	0.070
47/1/1/1	0.020
34/2/1	0.026
34/1/1/1	0.352
11/2	0.069
12/1	0.318
10	0.282
2/1	0.598
49/2	0.400
49/3	0.370
52/1	0.300
52/2	0.400
52/3	0.630
53/1/1	0.230
53/2/1	0.240
53/2/2	0.070
59/3	0.450
60	0.670
86/1	0.520
87	0.773
85/2	0.228

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—“ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 162700 मी. से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 18 की रेक्टी माईनर एवं सब माईनरों के निर्माण हेतु”.

(1)	(2)	(ग) ग्राम—कोठडा	(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.552 हेक्टर.
61/2	0.352		
83	0.352		
81	0.229	सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
80	0.220	(1)	(2)
79/1	0.045	164/2/2	0.205
79/2	0.230	164/2/1	0.220
66/1	0.044	163/1	0.176
67/2/2	0.282	163/2	0.478
77/1	0.334	163/3	0.880
77/2	0.334	164/1/1	0.152
71/4	0.185	164/1/2	0.152
72	0.184	164/1/3	0.143
22	0.299	164/1/4	0.143
21/3/1/2	0.177	131/1	0.098
51/2	0.360	132/1	0.165
44	0.238	132/2	0.198
42/1	0.255	132/3	0.330
39/1	0.237	123/1/1ख	0.212
55/1	0.100	योग . .	<u>3.552</u>
38/2	0.240		
34/1/3	0.450		
16/2	0.045		
	योग . .		<u>12.894</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—“ओंकारेश्वर परियोजना वितरण नहर 156200 मी. से निकलने वाली डी व्हाय 17 मलवाडा एम.आर.खेड़ा माईनर एवं करोदिया माईनर के निर्माण हेतु.”

नोट:—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 32-अ-82-08-09-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
 (क) जिला—धार
 (ख) तहसील—कुक्षी

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—“ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 162700 मी. से निकलने वाली वितरण नहर क्र. 18 की टेल माईनर की आर. डी. 2070 मी. से 3410 मी. के निर्माण हेतु”.

नोट:—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 33-अ-82-08-09-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
 (ख) तहसील—कुक्षी

(ग) ग्राम—खापरखेड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.780 हेक्टर.

सर्वे नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
203/1	0.340
205/2/1	0.112
205/1	0.209
206/1	0.100
206/2	0.100
172	0.484
173/1	0.242
163/2	0.264
163/4	0.110
143	0.564
142/1	0.346
142/3	0.200
142/2	0.480
141/2/3	0.418
25/1	0.470
25/2	0.460
24	0.420
23	0.396
22/3	0.298
17/2/2	0.300
17/3	0.285
17/1	0.060
13	1.152
14	0.586
15/1, 15/2	0.384
योग . . .	<u>8.780</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—“ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 162700 मी. से निकलने वाली टेल डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 19 की करोदिया माईनर के निर्माण हेतु”.

नोट:—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

धार, दिनांक 30 मार्च 2010

संशोधित अधिसूचना

क्र. 413-प्र.क्र.-अ-82-2008-09-2010- कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2019-प्र. क्र.-अ-82-2009, धार, दिनांक 8 अप्रैल 2009 से ग्राम रहमानपुरा तहसील मनावर, जिला धार का रकबा 6.734

हेक्टेयर के भू-अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (सन् 1894 क्रमांक एक) की धारा 6 के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा का प्रयोजन, ओंकारेश्वर नहर परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण से प्रभावित, का प्रकाशन, मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1, पृ. क्रमांक 1060-1061 पर दिनांक 17 अप्रैल 2009 तथा दो समाचार पत्रों क्रमशः नई दुनिया, दिनांक 19 अप्रैल 2009 तथा चौथा संसार, दिनांक 19 अप्रैल 2009 में प्रकाशन हुआ है. जिनका जी-नम्बर 11188/2009 है. जिसमें खसरा क्र. 114/1 के स्थान पर खसरा क्र. 144/1 प्रकाशित हो गया है. अतः खसरा क्र. 144/1 के स्थान पर खसरा 114/1 पढ़ा जावे.

शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी.

क्र. 419-वाचक-प्र.क्र.-अ-82-2008-2009.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—मनावर
(ग) ग्राम—डोंगरगांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.225 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर निजी (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
5	0.265
6/1	0.080
6/2	0.160
95	0.720
योग . . .	<u>1.225</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—“ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर से निकलने वाली डायरेक्ट माईनर 73 के नहर निर्माण हेतु.
(3) भू-अर्जन की धारा 6 के अन्तर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है.
(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 425-भू-अर्जन-प्र.क्र. 6-अ-82-2008.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—मनावर

(ग) ग्राम—देवलरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—17.665 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टर में)

(1)

(2)

1/1

0.200

1/2

0.200

4/4

0.455

4/1/1

0.078

4/1/3

4/1/2

0.075

4/1/4

0.078

4/1/5

0.077

4/2/1

0.155

4/2/2

0.155

4/2/3

0.155

4/2/4

0.155

4/3 पै

0.115

4/3 पै

0.200

31/4

0.100

31/5

0.080

31/6

0.080

31/7/1

0.080

31/8

0.075

31/11

0.075

31/9

0.080

31/10

0.075

31/12

0.075

31/13

0.075

30

0.050

48/1

0.650

48/2

0.260

(1)

(2)

47/1

0.250

47/2/1

0.100

340/2/2

0.030

340/2/3

0.020

340/1

0.050

45/1

0.150

109/1

0.210

341/3

0.160

50

0.150

52

0.075

120/1/1

0.106

120/1/2

0.100

120/1/3

0.100

112/2

109/2

0.210

341/4

119/1/2/1

0.085

339/4/2

0.180

118

0.030

119/1/1

0.204

339/1

0.300

110

0.120

111/2

0.040

112/2

0.070

45/2

0.155

104/1

0.110

98/3

0.230

104/2

0.080

99

0.400

100

0.030

98/2

0.250

104/3

0.040

92/4/3

0.175

91/1

0.230

91/2

0.100

154/2

0.025

90/5/2

0.450

90/5/1

0.030

340/2/1

0.100

341/1

0.070

113

0.050

341/2

0.070

(1)	(2)	(1)	(2)
380/1	0.120	275/1	0.100
380/2	0.120	232/1	0.080
375/1	0.100	232/4	0.075
374/1	0.120	232/2	0.080
364	0.600	232/3	0.075
374/2	0.120	232/5	0.080
374/3	0.100	232/6	0.080
374/4	0.050		योग . <u>17.665</u>
375/2	0.100		
374/5	0.050	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—“ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर/वितरण शाखा/लघु/उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.	
374/6	0.080		
371 पै	0.040		
371 पै	0.020		
370	0.350	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) कलेक्टर जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.	
122/1/1	0.051		
122/1/2	0.051		
122/1/3	0.051		
7/1	0.089		
7/2	0.500		
9	0.045		
186	0.040		
11/4	0.150		
11/3	0.060		
187/2	0.020		
187/1	0.500		
190/1	0.270		
190/2	0.270		
210	0.420		
211	0.160		
212/1	0.020		
212/2	0.640		
87/1	0.380		
220	0.180		
233	0.300		
231	0.130		
229	0.100		
225	0.140		
226	0.150		
227	0.220		
283/1	0.280		
275/2	0.500		
279	0.220		
		क्र. 423-प्र.क्र. 61-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—	
		अनुसूची	
		(1) भूमि का वर्णन—	
		(क) जिला—धार	
		(ख) तहसील—मनावर	
		(ग) ग्राम—गोंगावा	
		(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.225 हेक्टेयर.	
		खसरा नम्बर	रकबा
			(हेक्टर में)
		(1)	(2)
		68/1/2/1/1क	0.046
		68/1/2/1/1ख	0.046
		119/4	0.072
		69/1/1	
		119/3	0.201
		69/2	0.094

(1)	(2)
119/2	0.202
122/1/2	0.216
122/2/1	0.266
122/2/1/2	0.216
122/2/2/2	
68/1/1ख	0.042
122/11	0.214
78/1	0.086
78/2	0.072
78/3	0.080
78/4	0.080
76/1	0.072
76/2	0.072
75/2	0.230
75/1/2/3	0.086
75/1/2/1क	0.038
69/1/2	0.122
68/2	0.522
69/3/1	0.101
75/1/2/1ख	0.049
योग .	<u>3.225</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—“ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर/वितरण शाखा/लघु/उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) कलेक्टर जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

धार, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. 449-वाचक-प्र.क्र. 28-अ-82-2008-09-भू-अर्जन-प्रकरण क्र. 28-अ-82-2008-09, कार्यालय पत्र क्रमांक 1645 भू-अर्जन-09-मनावर-धार दिनांक 18 मार्च 2009, ग्राम बडगांव, तहसील मनावर, जिला धार का रकबा 9.456 के भू-अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 में (सन् 1894 क्र. एक) की धारा 6 के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा के प्रयोजन ओंकारेश्वर नहर

परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1, पृ. क्र. 908, 909, दिनांक 27 मार्च 2009 के अंक तथा दो समाचार पत्रों क्रमशः नई दुनिया तथा राज एक्सप्रेस, दिनांक 26 मार्च 2009 के अंक में प्रकाशन हुआ है. जिसका जी नम्बर 26563/09 है, जिसके स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जावे.

संशोधित उद्घोषणा

अनुसूची

पूर्व में प्रकाशित		संशोधित प्रकाशन	
सर्वे नं.	अर्जित रकबा	सर्वे नं.	अर्जित रकबा
निजी		निजी	
4/1/1/1	0.477	4/1/1/1	0.225
		4/1/1/2	0.126
		4/1/1/3	0.126
44/2	1.038	44/2/2	0.638
		44/2/1	0.400

शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी.

क्र. 443-वाचक-प्र.क्र. 59-अ-82-2008-2009—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—मनावर
(ग) ग्राम—गांगली
(घ) लगभग क्षेत्रफल—11.440 हेक्टर.

सर्वे नम्बरं	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
278/2	0.178
279/1	0.060

(1)	(2)	(1)	(2)
278/3	0.090	56/1/क	0.190
278/4	0.230	56/2/क	
270/9/2	0.190	56/1ख	0.090
68/3	0.265	56/2ख	
270/6	0.160	56/1ग	0.090
269	0.300	56/2ग	
268	0.030	111	1.152
267/1	0.335	112	0.290
267/2	0.335	114/1/1	0.345
266	0.317	114/2	
252	0.195	113/1	0.317
68/2	0.145	114/1	0.030
74	0.048	348/2/3	0.025
53/2	0.080	435/1	0.670
52/2	0.265	433	0.585
53/1	0.120	432	0.460
52/1	0.160	119/1	0.335
54/1	0.030	24/2क	0.240
8	0.240	55	0.025
9/2	0.315		योग . 11.440
10	0.048		
15/1/1/1	0.195	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—“ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 145000 मी. से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 16 एवं उसकी डायरेक्ट मायनर-72 के बीच नहर निर्माण हेतु.
15/2			
15/1/ 1/2	0.105		
15/2			
15/1/2	0.240		
15/2		(3)	भू-अर्जन की धारा 6 के अन्तर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है.
24/1	0.520		
25	0.240		
26	0.290	(4)	भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
69	0.080		
70	0.550		
71	0.045		
72	0.015		
75	0.180		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 22 मार्च 2010

क्र. 2492-भू-अर्जन-2010 प्र.क्र. 1-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर
(ख) तहसील—बण्डा
(ग) नगर/ग्राम—जगथर
(घ) क्षेत्रफल—0.12 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1165	0.12
	योग : 0.12

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—जगथर जलाशय की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर, जिला सागर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 2491-भू-अर्जन-2010 प्र.क्र. 2-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6

के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर
(ख) तहसील—बण्डा
(ग) नगर/ग्राम—जमुनियां
(घ) क्षेत्रफल—0.09 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
302/1	0.09
	योग : 0.09

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—जगथर जलाशय की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर, जिला सागर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 2493-भू-अर्जन-2010 प्र.क्र. 3-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर
(ख) तहसील—बण्डा
(ग) नगर/ग्राम—पटारी

(घ) क्षेत्रफल—0.30 हेक्टेयर.		(1)	(2)
सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	30	0.28
6	0.20	31	0.12
9/1	0.10	32	0.07
	योग : 0.30	13	0.25
		14	0.02
		15	0.13
		16	0.23
		17	0.12
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—जगथर जलाशय की नहर निर्माण हेतु.		18	0.33
		19	0.32
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर, जिला सागर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.		22	0.21
		23	0.01
		24	0.11
		25	0.03
		26	0.14
			योग : 3.05

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 23 मार्च 2010

क्र. 612-भू-अर्जन-2010 रा.प्र.क्र. 10-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—पेटलावद
(ग) ग्राम—पटेलनाका

सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
	निजी भूमि
9	0.07
10	0.35
11	0.02
12	0.01
29	0.23

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पटेलनाका तालाब निर्माण होने से ग्राम पटेलनाका का कुल रकबा निजी भूमि 3.02 हेक्टेयर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 614-भू-अर्जन-2010 रा.प्र.क्र. 11-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—पेटलावद
(ग) ग्राम—बिजोरी

सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
	निजी भूमि
2	0.18
6/2	0.45

(1)	(2)
6/1	0.34
7	0.06
4	0.13
8	0.28
17	0.53
योग : <u>1.97</u>	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पटेलनाका तालाब निर्माण होने से ग्राम बिजोरी का कुल रकबा निजी भूमि 1.97 हेक्टेयर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जगदीश शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 23 मार्च 2010

प्र.क्र. 1-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—श्यामपुर
(ग) नगर/ग्राम—तकिया
(घ) क्षेत्रफल—0.281 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
57 में से	0.281
योग : <u>0.281</u>	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—शाहजहांपुरा बांध निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 26 मार्च 2010

भू-अर्जन प्र.क्र.एफ. पत्र क्र. भू-अर्जन-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—मैहर
(ग) नगर/ग्राम—उदयपुर
(घ) क्षेत्रफल—7.454 हेक्टेयर

नागौद (सतना) शाखा नहर में पड़ने वाले अर्जित अशासकीय भूमि की जानकारी वर्ष 2007-08.
पटवारी हल्का नं. 20

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हे. में)	अधिग्रहित होने वाला रकबा
सर्वे नम्बर	(1)	(2)
(1)	(2)	(3)
81	0.272	0.272
81/1	1.217	0.400
87/2क	0.609	0.330
87/2ख	0.609	0.130
90/1	0.334	0.304
90/2	0.209	0.060
90/3	0.116	0.116

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	
91	0.031	0.031	496/1 ड 1	0.105	0.020	
92	0.460	0.280	496/2	0.130	0.130	
450	0.523	0.370	441/1			
454	0.167	0.100	442/1			
455	0.230	0.230	443/1			
589/455	0.157	0.010	444/1	0.439	0.220	
458	0.136	0.002	445/1			
459	0.105	0.105	446/1			
460	0.115	0.115	447/1			
461	0.136	0.136	441/2			
462/1	0.105	0.105	442/2			
462/2	0.157	0.157	443/2			
467	0.105	0.010	444/2	0.648	0.110	
468	0.125	0.020	445/2			
469	0.125	0.030	446/2			
470	0.125	0.040	447/2			
481	0.115	0.050	497/1	0.042	0.030	
486/1	0.052	0.050	503/1	0.010	0.010	
482	0.240	0.240	503/2 क	0.042	0.012	
477	0.094	0.050	503/2 ख	0.052	0.052	
478	0.105	0.050	504/1	0.648	0.387	
479	0.115	0.070	504/2 क	0.794	0.233	
483/2	0.042	0.017	505/1	0.533	0.069	
483/3	0.063	0.063	505/2	0.261	0.201	
484/1	0.042	0.018	505/5	0.063	0.010	
484/2	0.026	0.026	515/1	0.240	0.200	
484/3	0.026	0.026	514/1 क	0.643	0.398	
485/3	0.042	0.042	514/1 ख	0.063	0.042	
485/2	0.042	0.028	439/1			
486/2	0.042	0.038	440/1			
486/3	0.042	0.042	588/440क	0.209	0.209	
487/2	0.050	0.046	448/1			
487/3	0.044	0.044	438/1			
488/2	0.052	0.048	449/1			
488/3	0.052	0.052	448/2			
491	1.348	0.360	438/2			
492	0.021	0.001	449/2			
493/1	0.021	0.021	439/2	0.199	0.061	
493/2	0.105	0.105	440/2			
494/2	0.063	0.060	588/440क			
496/1क 1	0.282	0.030	476	0.115	0.060	
496/1 क 2	0.105	0.040	463/1	0.225	0.010	
496/1 ख 1	0.183	0.020				
				कुल योग :	15.043	7.454

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।
 (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सतना के कार्यालय में किया जा सकता है।

सतना, दिनांक 29 मार्च 2010

क्र. एफ. भू-अर्जन-09—संशोधित.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—म. प्र. शासन/निजी खाता
 (क) जिला—सतना
 (ख) तहसील—अमरपाटन
 (ग) नगर/ग्राम—अमझर
 (घ) क्षेत्रफल—2.629 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
416/1 क	0.404
416/2ख	0.809
416/2क	0.809
416/4 ख	0.607

निजी खाता भूमि योग : 2.629

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—अमझर तालाब योजना.
 (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर भू-अर्जन, जिला सतना के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 29 मार्च 2010

क्र. 423-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
 (ख) तहसील—राजपुर
 (ग) नगर/ग्राम—बुदरा
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.715 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
99	0.715
	योग : <u>0.715</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—लोअर गोई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.

नोट :— भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भू-अर्जन अधिकारी, राजपुर, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 12, राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 424-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी

(ख) तहसील—राजपुर		(1)	(2)
(ग) नगर/ग्राम—निहाली		492/3	0.060
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.774 हेक्टेयर.		492/7, 492/10	0.546
खसरा नम्बर	रकबा	492/8	0.015
	(हे. में)	492/9	0.065
(1)	(2)	494	0.175
		496	0.335
15/5	0.675	497/1	0.175
15/2/4	0.255	497/2	0.260
15/2/5	0.063	497/3	0.225
16/1/2	0.160	497/4	0.065
16/1/1	0.332	497/5	0.769
16/1/3	0.275	497/6	0.034
16/4	0.101	497/7	0.305
19/2	0.410	497/8	0.065
35/2	0.603	503/1	0.128
35/6		503/2	0.586
	योग : <u>2.774</u>	503/3	0.090
		503/9	0.030
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—लोअर गोई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.		503/11	0.050
		503/12	0.053
		503/13	0.050
नोट :— भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भू-अर्जन अधिकारी, राजपुर, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 12, राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.		503/14	0.218
		516/2	0.398
		517	0.846
		521, 522	0.190
		523/2	0.125
क्र. 425-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—		523/3	0.202
		527/2	0.559
		529/2	0.056
		523/4	0.101
		527/3	0.292
		527/1	0.097
		528/2	
	अनुसूची	528/3	0.664
		529/1	
(1) भूमि का वर्णन—		530/2	
(क) जिला—बड़वानी		585/9	0.060
(ख) तहसील—राजपुर		586	0.250
(ग) नगर/ग्राम—दानोद		589/2	0.455
(घ) लगभग क्षेत्रफल—13.790 हेक्टेयर.		589/3	0.250
खसरा नम्बर	रकबा	589/6	0.504
	(हे. में)	596/1	0.360
(1)	(2)	596/3	0.240
491	0.194	596/4	0.395
		596/5	0.015

(1)	(2)
596/6	0.050
596/7	0.180
596/8	0.202
627	0.525
628/2	0.225
628/3	0.809
628/4	0.992
628/5	0.255

योग : 13.790

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि कि आवश्यकता है—लोअर गोई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.

नोट :— भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भू-अर्जन अधिकारी, राजपुर, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 12, राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 426-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—राजपुर
(ग) नगर/ग्राम—नरावला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.537 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
13	0.128
11/2	0.125
11/3	
12/1	1.104
14/5	
14/9	0.180
14/11	
योग :	<u>1.537</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि कि आवश्यकता है—लोअर गोई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.

नोट :— भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भू-अर्जन अधिकारी, राजपुर, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 12, राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 427-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—राजपुर
(ग) नगर/ग्राम—राईपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.372 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
10/1 ग	0.364
10/1 घ	0.062
10/1 झ	0.069
10/1 ड	0.238
10/1 ज	0.141
10/1 च	0.534
10/1 छ	0.043
10/2, 19/3	0.010
19/1	0.815
85/1	0.085
83/1	0.015
110/8	0.030
85/2	0.590
87	0.664
110/1	0.095
110/2	0.303
110/6	0.020
110/7	0.395
112/3	0.330
116/4	0.038

(1)	(2)	(1)	(2)
140	0.750	137/2	0.640
141, 142	0.731	137/4	0.325
139/2		137/5	0.035
144/2	2.050	137/6	0.010
145/1		138/2	0.243
	योग : <u>8.372</u>	145/13	0.455
		149/2	0.225
		149/7	0.050
		149/9	0.010
		150/3	0.024
		149/10	0.087
		150/2	0.033
		149/11	0.184
		149/12	0.032
		150/4	0.024
		150/1	0.104
		151/1	0.085
		योग : <u>9.363</u>	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—लोअर गोई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.

नोट :— भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भू-अर्जन अधिकारी, राजपुर, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 12, राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 428-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—राजपुर
(ग) नगर/ग्राम—रोझानी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.363 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
121/2	0.554
121/4	0.052
123	1.495
124	0.070
126/1	0.745
126/3	0.650
127/1	0.698
127/2	0.705
128/1	0.585
135/5	0.458
137/1	0.115
137/3	0.670

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—लोअर गोई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.

नोट :— भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भू-अर्जन अधिकारी, राजपुर, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 12, राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 429-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—राजपुर

(ग) नगर/ग्राम—मोरानी	(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—19.281 हेक्टेयर.	171/1/4	0.450
	171/1/7	0.400
खसरा नम्बर	171/1/9	0.170
(1)	171/3	0.564
	175/2	0.105
31/1	175/10	0.055
31/5	175/11	0.764
31/6	258	0.110
31/7	261/2, 263/1	0.010
31/8	262	0.774
31/9	263/2	1.238
31/10, 31/11	263/3	0.128
34/2, 79/5	263/4	0.238
70/2	263/6	0.010
72	263/8	0.005
73/2	274/1	0.300
73/3	274/3	
73/4	277/2	0.130
74/2	278	
74/3, 75/1	279/2	
75/5	275/1	0.810
75/6	275/2, 286/7	0.310
77/2	286/5	
77/3	287/3	1.799
77/4	288/3	
77/6	287/1	1.632
77/7, 78	287/2	2.174
87/3		योग : 19.281
124		
126/4		
126/6		
126/5		
128/1		
128/2		
129/4		
171/1/1/1, 283/6		
171/1/3		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—लोअर गोई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.

नोट :— भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भू-अर्जन अधिकारी, राजपुर, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 12, राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. बी. एस. राजपूत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

(1)	(2)	(1)	(2)
71/3 (1)	0.135	73/5 जु.	0.379
71/3 (2)	0.134	73/5 जु.	0.094
71/3 (3)	0.135	73/5 जु.	0.094
71/3 ख	0.405	73/6	0.809
71/4	0.809	73/7 ख (1)	0.500
71/5 क	0.281	73/7 ख (2)	0.410
71/5 ख	0.526	73/7 ग	1.214
71/6 क	0.405	74/1 जु.	0.405
71/6 ख	0.081	74/1	0.101
71/7 जु.	0.270	74/1	0.202
71/7 जु.	0.135	74/1	0.034
71/8 क	1.093	74/1 ड	0.034
71/8 ख	1.092	74/1	0.033
71/9 जु.	0.415	74/2	1.370
71/9 जु.	0.139	74/2 जु.	0.068
71/9 जु.	0.139	74/2 जु.	0.191
71/9 जु.	0.139	74/2 जु.	0.191
71/9 जु.	0.139	74/3	0.809
72/1	0.405	74/4 जु.	0.028
72/2 क	0.135	74/4 जु.	0.287
72/2 ख	0.270	74/4 जु.	0.045
72/2	0.202	74/4 जु.	0.045
72/3 क 1	1.193	74/5	1.214
72/3 क 2	0.417	74/6 जु.	1.235
72/4 जु.	0.271	74/6 जु.	0.338
72/4 जु.	0.067	74/6 जु.	0.225
72/4 जु.	0.067	74/6 जु.	0.225
72/5 जु.	0.379	74/8	0.405
72/5 जु.	0.152	74/8	0.202
72/5 जु.	0.076	74/8	0.067
72/6 जु.	1.013	74/8 घ	0.067
72/6 जु.	0.404	74/8	0.068
72/6 जु.	0.202	75/1 क 1	0.067
72/8	0.809	75/1 क 2	0.067
73/1 जु.	0.404	75/1 क 3	0.068
73/1 जु.	0.034	75/1 ख	0.203
73/1 जु.	0.101	75/2	0.404
73/1 घ	0.034	75/2 जु.	0.405
73/1 जु.	0.202	75/3 जु.	2.699
73/1 जु.	0.034	75/3 जु.	0.674
73/2 क 1	0.068	75/3 जु.	0.674
73/2 क 2	0.067	75/4	0.506
73/2 क 3	0.067	75/6	0.203
73/2 ख	0.203	75/6	0.101
73/3 क	0.399	75/6	0.034
73/3 ख	0.006	75/6 घ	0.034
73/4 क	2.463	75/6	0.033
73/4 ख	0.410	75/7	1.619

(1)	(2)	(1)	(2)
76/1 जु.	2.699	200/2 (5)	1.200
76/1 जु.	0.674	201/1 क	1.257
76/1 जु.	0.674	201/1 ख	1.200
76/2 जु.	0.607	201/1 ग	1.200
76/2 जु.	0.455	201/1 घ	1.200
76/2 जु.	0.152	202/1 क 1 जु.	0.129
76/3 क	0.405	202/1 क 1 जु.	0.129
76/3 ख	0.203	202/1 क 2	1.011
76/3 ग	0.202	202/1 ख	0.252
77/1 क	4.338	202/1 ग	0.502
77/1 ख	2.169	202/2 क	0.674
77/1 ग	0.349	202/2 ख	0.337
77/1घ (1)	1.411	202/3 क	0.539
77/1 घ (2)	0.410	202/3 ख	0.068
78/1 क 1	3.434	215/1	2.298
78/1 क 2	0.312	215/2 जु.	3.166
78/1 ख 1	0.400	215/2 जु.	0.420
78/1 ख 2	0.401	215/2 जु.	0.420
78/1 ख 3	0.401	215/2 जु.	0.425
78/2 क	0.372	215/2 जु.	0.425
78/2 ख	0.124	215/4	0.405
78/3	0.494	222/1 क	0.202
78/4	0.494	222/1 ख	0.202
78/5	0.494	223/1	0.370
78/6	0.494	223/1 क 1	1.597
78/7	0.824	223/1 क 2	0.193
78/8 (1)	0.414	223/1 ख 1	0.485
78/8 (2)	0.410	223/1 ख 2	0.283
78/9 क	0.419	223/1 ख 3	0.485
78/9 ख	0.405	223/1 ख 4 (1)	0.156
78/10	0.824	223/1 ख 4 (2)	0.008
78/11 जु.	0.015	223/2 क	0.002
78/11 जु.	0.809	223/2 क 1	0.202
78/12	0.824	223/2 क 2	0.202
78/13	0.618	223/2 ख	0.405
78/14	0.618	223/2 ग	0.121
78/15	0.618	223/2 घ	0.121
78/16	0.618	223/2 ङ	0.445
110/1 क 1	1.517	223/2 च	0.121
110/1 क 2	0.506	223/3	1.619
110/1 ख	1.012	223/4 क जु.	0.713
110/1 ग	1.012	223/4 क जु.	0.400
110/2	0.809	223/4 ख 1	0.486
200/1	0.809	223/4 ख 2	0.405
200/2 (1)	0.056	223/4 ख 3	0.404
200/2 (2)	1.200	223/4 ग	0.389
200/2 (3)	1.200	223/4 घ	0.441
200/2 (4)	1.200	223/5	0.299

(1)	(2)	(1)	(2)
224/2	1.214	227/1 क	1.214
224/3 क	0.152	227/1 ख	0.384
224/3 ख	0.404	227/1 ग	0.415
224/3 ग	0.404	227/1 घ	0.415
224/3 घ 1	0.202	227/2	0.405
224/3 घ 2	0.202	227/2 जु.	0.323
224/3 जु.	0.152	227/2 जु.	0.323
224/4	1.214	227/2 जु.	0.324
225/2 ड 1	0.240	227/2 जु.	0.324
225/2 ड 2 क	0.120	227/2 जु.	0.324
225/2 ड 2 ख	0.120	227/3 क	0.429
225/2 ड 3	0.675	227/3	0.101
225/2 ड 4	0.108	227/3 जु.	0.068
225/2 ड 5	0.109	227/ 3 जु.	0.068
225/2 ड 6	0.108	227/3 ख	0.143
225/2 ड 7	0.108	227/4	0.607
225/2 ड 8	0.109	227/5	0.405
225/2 ड 9	0.109	228/1 जु.	3.629
225/2 ड 10	0.109	228/1 जु.	0.413
225/2 ड 11	0.109	228/1 जु.	2.021
225/3 ड 1	1.214	229/1 ड 1	0.607
225/3 ड 2	0.405	229/1 ड 2	0.202
225/4	0.506	229/2 ख	0.337
225/5	0.405	229/2 क	1.686
225/6	0.607	230/1 ड 1 जु.	1.752
226/1	2.428	230/1 ड 1 जु.	2.428
226/2 क 1	0.540	230/1 ड 2	0.069
226/2 क	0.271	230/2 क	0.607
226/2 ग	0.538	230/2 ख	0.202
226/2 क 2	0.270	230/3	1.619
226/2 ख	0.809	233/1 क	0.809
226/3 जु.	1.463	233/1 ख	0.809
226/3 जु.	0.809	233/1 ग	0.809
226/3 जु. 1	0.489	233/1 घ	0.810
226/3 जु. 2	0.123	233/2 क (1)	1.696
226/3 जु. 3	0.123	233/2 क (2)	0.607
226/3 जु. 4	0.383	233/2 ख 1	0.265
226/3 जु. 5	0.202	233/2 ख 2	0.485
226/4	0.428	233/2 ख 3	0.485
226/5 क	2.809	233/2 ख 4	0.485
226/5 ख	0.607	233/3 क	0.405
226/5 ग	0.607	233/3 ख	1.214
226/6 क	0.017	233/1 ड 1	1.579
226/6 क	0.400	234/1 ड 2	0.890
226/6 ख	0.405	234/1 क 2 जु.	0.278
226/6 ग	0.405	234/1 क 2 जु.	0.410
226/6 घ	0.189	234/2 क	1.107
226/7	0.405	234/2 ख	0.410

(1)	(2)
234/2 जु.	0.506
234/3 जु. 1	1.821
234/3 जु. 2	0.405
234/3 जु. 3	0.202
234/4	1.214
234/5 (1)	1.103
234/5 (2)	0.111
234/6	0.081
234/7	0.809
कुल योग . .	190.995

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—विन्ध्याचल सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट विन्धनगर के चतुर्थ चरण के एश. डाईक निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी बैट्टन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इंदौर, दिनांक 5 अप्रैल 2010

क्र. 958भू-अर्जन-सांवेर-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—इंदौर
(ख) तहसील—सांवेर
(ग) नगर/ग्राम—सोलसिन्दा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.520 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
323/4	0.352
429/2/2	0.056

(1)	(2)
429/2/1	0.051
429/2/3	0.061
429/1	1 मकान, 1 कुंआ

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—इंदौर-उज्जैन फोरलेन मार्ग निर्माण अंतर्गत भूमि के अर्जन बाबद.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष, इंदौर एवं तहसील सांवेर अनुविभागीय अधिकारी, सांवेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 960-भू-अर्जन-सांवेर-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—इंदौर
(ख) तहसील—सांवेर
(ग) नगर/ग्राम—जैतपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.894 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
84/2	
84/4	0.378
84/5	
89/5	0.305
89/4	0.048
107/198/2/2	0.021
109/5/1	0.056
107/198/2/1	0.054
111/6	0.032

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—इंदौर-उज्जैन फोरलेन मार्ग निर्माण अंतर्गत भूमि के अर्जन बाबद.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष, इंदौर एवं तहसील सांवेर अनुविभागीय अधिकारी, सांवेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.